स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–22, अंक–6, ज्येष्ठ–आषाढ़ 2071, जून 2014

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–6

मोदी इंडिया फर्स्ट अर्थात पहले भारत विचारधारा के चैंपियन बन कर उभरे हैं। उनमें हम स्वदेशी तथा आधुनिकता दोनों का अनोखा मिश्रण पाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वदेशी का मतलब हर विदेशी चीज का विरोध है। स्वदेशी हर विचार का भारतीय जरूरतों और अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में पड़ताल करता है।

अ नु क्र म

आवरण कथा:
राष्ट्रवादी एजेंडे पर जनता की मुहर
– सुदेश शर्मा /6

दृष्टिकोण :
प्रतिरक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की जल्दबाजी से बचे सरकार
– डॉ. अश्विनी महाजन /8

आन्दोलन रपट
राष्ट्रीय परिषद् बैठक पानीपत – प्रस्ताव–1, 2, 3 /10

कृषक : किसानों की सुध ले – सरकार
– देविन्दर शर्मा /16

कृषि
भारत में जैविक खेती – संभावनाएं एवं नीतियां
– अरुण के. शर्मा /18

सामयिकी
कालेधन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी नकल कसिये
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /20

विचार–विमर्श : कौशल के हथियार से गरजेगा भारत
– जयंतीलाल भंडारी /23

पर्यावरण
संवैधानिक हो नदियों को नैचुरल मदर का दर्जा
– अरुण तिवारी /25

धरोहर
परिवर्तनों की साक्षी है माँ गंगा
– उमेश प्रसाद /27

स्वदेशी संवाद : स्वदेशी ही क्यों?
– पुष्करलाल पुराणिक /28

अंतर्राष्ट्रीय : विदेश नीति की नई धुरी
– ब्रह्म चेलानी /30

सुरक्षा : कब और कैसे बाहर होंगे घुसपैठिए
– पंकज चतुर्वेदी /32

शिक्षा : आशंका और उम्मीद के भंवर में उच्च शिक्षा
– शशांक द्विवेदी /34

पाठकनामा /4, समाचार परिक्रमा /36, रपट /38

पाठकनामा

सड़क हादसों पर देने होगा ध्यान

आज देशभर में बढ़ते सड़क हादसों में प्रतिदिन सैकड़ों लोग असमय ही काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। इसी सड़क हादसे में हमने गोपीनाथ मुंडे जैसे एक महान नेता को खो दिया है। इससे पहले भी कई मंत्री सड़क हादसे के ग्रास में आ चुके हैं। आखिर कब तक! हम अपने मंत्रियों और लोगों को इन सड़क हादसों में खोते रहेंगे। इन हादसों में हताहत होने वाले लोगों का परिवार पूरी जिंदगी सदमे में रहता है। अकसर देखा गया है कि किसी एक वाहन चालक की लापरवाही से कई लोगों की जान चली जाती है। इसलिए आज सुरक्षित यातायात के लिए जरूरी है कि सभी वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करें। हमेशा ध्यान रखें – खुद बचें, दूसरों को बचाएं और सुरक्षित अपने घर जाएं।

– राकेश पाण्डेय, गली नं. 9 करतार नगर, दिल्ली

कब रोकेगा महिलाओं पर अत्याचार

उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था को लेकर आज देश भर में बड़े सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों – बाराबंकी, इलाहबाद, मेरठ, इटावा और आजमगढ़ में बलात्कार के बाद हत्या की दर्जनों घटनाएं घट रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में महिलायें कैसे सुरक्षित हैं? अगर सुरक्षित नहीं है तो उन्हें कौन सी सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था सुरक्षा दी जाए या फिर, समाज में महिलाओं व नाबालिग बच्चियों के साथ, इस तरह की अन्याय व जघन्य हिंसा कब तक जारी रहेगी। कोई खुले में शौच जाने और कोई अशिक्षित वर्ग को इसका दोषी मानता है और कोई घटिया मानसिकता का कारण मानता है। जिस देश में महिलाएं राष्ट्रपति पद से लेकर केन्द्रीय मंत्री तक बनी है, वही दूसरी ओर महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार देश की छवि को खराब कर रहा है। भविष्य में महिलाओं के अधिकार व उनकी सुरक्षा को लेकर एक लम्बी लड़ाई करनी पड़ेगी।

– सुनीता सिंह (अध्यापिका), मालवीय नगर, दिल्ली

नए भारत का उदय

पिछले दो दशक से संप्रग सरकार ने जिस तरह भ्रष्टाचार, महंगाई और अर्थव्यवस्था को रसातल में डूबा दिया था। उसका जवाब देश की जनता ने दे दिया है। जनता एक नए भारत का उदय चाहती है जिसमें भाई–भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सरकारी महकमे की मनमर्जी से मुक्त हो। जनता को मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार पर पूरा भरोसा है कि मोदी जी देश का विकास भी करेंगे और आतंकवाद से भी मुक्ति दिलाएंगे। पिछले दो दशक में भारतीय उद्योगपति और छोटे व्यवसाय संप्रग सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और देश में बढ़ती बहुराष्ट्रीय कंपनियों से चिंतित थे। अब उन्हें एक नए भारत का उदय लग रहा है।

– भानु रावत, एन–112, सेक्टर–11, नोएडा

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 15

आजीवन सदस्यता शुल्क:15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो कृपया पत्रिका कार्यालय को सूचित

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

अगर हमें चीन से प्रतिस्पर्धा करनी है तो कौशल, उत्पादन स्तर और रफ्तार पर ध्यान देना होगा।

– नरेन्द्र मोदी

हमने कोयला मंत्रालय के अफसरों से गायब फाइलों की रिपोर्ट मांगी है। मैं इसकी तह तक जाना चाहूंगा। मुझे बताया गया है कि अब ज्यादातर फाइलें अपनी जगह पर हैं।

– पीयूष गोयल

गोपीनाथ मुंडेजी के निधन की खबर सुनकर काफी दुख हुआ। वह न केवल एक महान मंत्री, बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे।

– लता मंगेशकर

यदि लोकसभा के चुनावी मुकाबले में नरेंद्र मोदी नहीं होते तो भी कांग्रेस की हार होती। पार्टी की करारी हार इस वजह से हुई क्योंकि प्रचार अभियान लोगों के बीच प्रभाव नहीं छोड़ पाया।

– कमलनाथ

मोदी के आने का संकेत मिलते ही जहां रुपये में मजबूती शुरू हो गई, वहीं जापान, चीन, कोरिया तथा पूर्वी एशिया के देशों ने भी उत्साह दिखाया है।

– तरुण विजय

आज कृषि को आर्थिक रूप से उपयोगी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर भी विचार करना होगा। आखिर भारत कृषि को समृद्ध क्यों नहीं बना सकता ताकि किसान आत्महत्याएं न करें। नरेंद्र मोदी के पास गरीबों के लिए सोचने और इस दिशा में कार्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।

– देविन्दर शर्मा

अच्छे दिन की बड़ी चुनौतियां

भारत के 125 करोड़ लोग अच्छे दिनों की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 11 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसद में दिए भाषण ने नई सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए सबके मन में उम्मीदें और बढ़ा दी। समयबद्ध पक्का मकान, सबको शिक्षा और कौशल का ज्ञान, किसानों की दुर्दशा का निदान और महिलाओं का सम्मान यही प्रतिबद्धताएं नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा के माध्यम से भारतीयों के सामने दोहराई हैं। यह संभव नहीं है कि देश के सभी नागरिकों को एक समान आर्थिक संपन्न बना दिया जाए। सदियों के देश जीवन काल में न जाने कितनी शासन व्यवस्था आई? न जाने कितने चक्रवर्ती राजा और मंत्री आए, न जाने कितनी नीतियां और योजनाएं बनी। न जाने कितने साधन और संसाधन लगे, पर आज तक सबके लिए समान रूप से संपन्नता कभी नहीं आई। सारे वाद मिलकर भी आर्थिक भेदभाव को नहीं मिटा सके। पर यह संभव है कि सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे को असली जामा पहनाया जाए। इस पहलू में एक संभावना सिर्फ यह बचती है कि अवसरों का सृजन इतना ज्यादा हो कि सभी को उसके गुण और इच्छा के अनुसार जगह प्राप्त हो सके। ऐसा तत्काल होता दिखाई नहीं देता। अवसर संकुचित होते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। देश की 80 करोड़ से ज्यादा की आबादी को काम चाहिए। पहले पेट भर खाने के लिए फिर जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए। पिछले आंकड़े यह बताते हैं कि बहुत अच्छे दिनों में भी कोई भी सरकार एक साल में एक करोड़ से ज्यादा रोजगार का सृजन नहीं कर पाई। बल्कि विगत दस वर्षों में तो औसतन मात्र बीस लाख लोगों को ही प्रति वर्ष रोजगार दिलाया जा सका। क्या पांच साल में किसी चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है। लोगों में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों को जगाने वाले नेतृत्व के सामने बहुत बड़ी चुनौती। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और सुरक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे दिनों की जरूरत है। खासकर तब और जब जीवन यापन बहुत दुरूह और महंगा हो। प्राथमिक शिक्षा की सुविधा के लिए ही हमारे देश में संघर्ष जारी है उच्च शिक्षा की बात तो बाद में। अच्छे स्कूल और अच्छे शैक्षिक वातावरण को खरीदना पड़ता है। शुल्क से लेकर प्रवेश प्रक्रिया तक में शासन और न्यायालय को दखल देना पड़ता है। अच्छे दिन सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य और सबको न्याय देकर लाए जा सकते हैं। सरकार इसमें तत्काल परिणाम भी ला सकती है। केंद्र से लेकर राज्यों की योजनाओं में शिक्षा स्वास्थ्य और न्याय के लिए पैसा का पर्याप्त इंतजाम है। लेकिन बदइंतजामी ने इन मूल भूत आवश्यकताओं को भी सपने सरीखा बना दिया है। प्रधानमंत्री जिन मुद्दों को चुनाव प्रचार के दौरान उठाते रहे उन्हीं मुद्दों पर वे ध्यान लगाए रखें तो अच्छे दिन का जुमला हकीकत में बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया कि वे चाय बेच कर अपनी जीविका चलाते रहे, इसलिए वह गरीबी को करीब से जानते हैं। गरीबी यों तो पूरी मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है, लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो आंकड़ों के जाल में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम उलझ कर रह गये हैं। गरीब को रोटी और सम्मान दोनों दिलाना अच्छे दिन के सबब हो सकते हैं। सम्मान का अभिप्राय समाज में अच्छे ओहदे से होना चाहिए। अच्छे ओहदे का अभिप्राय है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भरता का अभिप्राय है कि उसके पास आर्थिक उपार्जन के अवसर होने होने चाहिए और आर्थिक उपार्जन के लिए देश में रोजगार और व्यापार के असीमित अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य होना चाहिए। अच्छे दिनों के भागीदार 125 करोड़ लोग हैं। इनमें छह करोड़ ये लोग हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर है। यानी इनके लिए सामाजिक सुरक्षा के इंतजाम अच्छे दिन के सबब हो सकते हैं। जीवन यापन करने लायक वृद्धावस्था पेंशन, अस्पतालों में अधिक उम्र में होने वाली बीमारियों के लिए विशेष विभाग, इलाज पर आने वाले खर्चों के लिए सस्ती बीमा सुविधा और वृद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित कर प्रधानमंत्री इस वर्ग को अच्छे दिन की खुशहाली दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती 65 करोड़ उस वर्ग की है जिसकी उम्र 15 से 60 वर्ष की है। इस उम्र वर्ग पर ही देश का वर्तमान और भविष्य टिका हुआ है। इनके बेकार और बेरोजगार रहने की कीमत देश नहीं चुका सकता। जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले दिनों में हमारे लिए यह सोचने का अवसर नहीं रहेगा कि हम इतनी बड़ी जनता का भरण पोषण करें कैसे? 15 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वालों के साथ देश की संभावनाएं भी जुड़ी हैं। उत्पादकता इन्हीं के पास है। दरअसल अच्छे दिन इन्हीं के जरिए आने वाले हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री कहा करते थे कि युवाओं के मन से निराशा और क्षोभ निकालना पड़ेगा। काम से इन्हें जोड़ना पड़ेगा। चीन की चुनौती से पार पाने के लिए इस वर्ग के लोगों को कुशल बनाना पड़ेगा, इन्हें आर्थिक आजादी देनी पड़ेगी। उद्योग और व्यापार भी अच्छे दिन की राह देख रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था और स्वस्थ स्पर्धा भारतीय उद्योग की जरूरत और उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री इन्हीं दोनों परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। गुजरात मॉडल की बात गुजरात के बाहर जिन्होंने सुना है उन्होंने यही सुना है कि वहां 24 घंटे में उद्योग संबंधी सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है। अफसरशाही काम रोकने के लिए नहीं काम करने के लिए जानी जाती है। पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो जाए और हमारे उद्योग व्यापार फिर से चल निकले तो अच्छे दिन दूर नहीं।

राष्ट्रवादी एजेंडे पर जनता की मुहर

मोदी इंडिया फर्स्ट अर्थात पहले भारत विचारधारा के पैरोकार बन कर उभरे हैं। उनमें हम स्वदेशी तथा आधुनिकता दोनों का अनोखा मिश्रण पाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वदेशी का मतलब हर विदेशी चीज का विरोध है। स्वदेशी हर विचार का भारतीय जरूरतों और अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में पड़ताल करता है। ऐसी उम्मीद है कि उनके समर्थकों को शिकायत की कोई वजह नहीं मिलेगी।

■ सुदेश वर्मा

मेरे कुछ राजनयिक मित्र जो भारत में रहने तथा स्थानीय हकीकतों से रूबरू होने के बाद भारत के समर्थक हो गए। मुझसे कहा करते थे कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन, कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि भारत में कोई राष्ट्रवादी सरकार वजूद में आए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद यह जाहिर हो चुका है कि कोई राष्ट्रवादी सरकार उनकी धिताओं और चालबाजियों की पूरी तरह अनदेखी कर वजूद में आ सकती है।

विदेशी ताकतों तथा किसी राष्ट्रवादी सरकार की जरूरतों में एक अंदरूनी विरोध है। जहां विदेशी ताकत समर्थित निवेश भारत में परभक्षी लक्ष्यों अर्थात केवल निरे लालच के साथ निवेश करना चाहेंगी, एक राष्ट्रवादी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि निवेश हमारी शर्तों पर आए इससे रोजगार सृजन हो, यह प्रौद्योगिकी ज्ञान लाए तथा मौजूदा प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाया जाए। यह उसी वक्त स्पष्ट हो गया था जब भाजपा ने 7 अप्रैल 2014 को जारी चुनावी घोषणापत्र में यह कहा था कि वह मल्टी ब्रांड रिटेल को छोड़कर उन सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वागत करेगी जो रोजगार का सृजन करेगा।

दिसंबर 2012 में ही भाजपा के दूरदर्शी नेता पी. मुरलीधर राव ने कह दिया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव वालमार्ट मोदी तथा स्वदेशी मोदी के बीच लड़े जाएंगे। तमिलनाडु में उसकी वास्तविक चुनौतियों के खिलाफ आगाह करते हुए उन्होंने इशारा किया था कि अन्य पिछड़ी जातियों अर्थात् ओबीसी के 65 फीसदी से ज्यादा तथा अनुसूचित जातियों अर्थात एससी के 15 से 20 फीसदी लोग अपनी आजीविका के लिए खुदरा व्यवसाय पर ही निर्भर हैं।

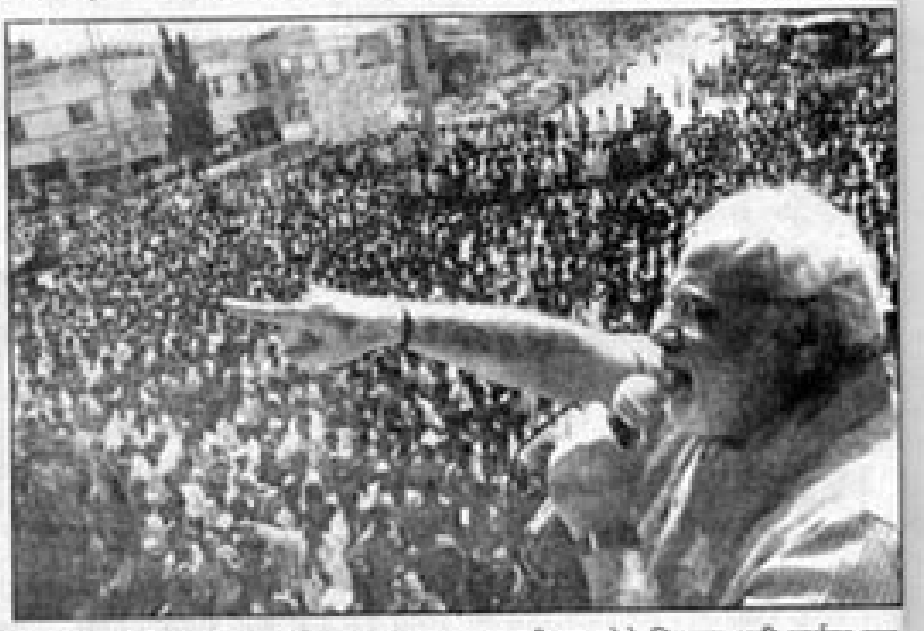

यह बात संभवत इस तथ्य की व्याख्या कर सकता है कि किस तरह पूरे देश में मोदी के पक्ष में लहर चल रही थी। उनके लिए मोदी न केवल उनकी अपनी समुदाय के थे जो उनकी दुर्दशा समझ सकते थे बल्कि ऐसे व्यक्ति थे जो अमेरिका की आंखों में आंखे डालकर वालमार्ट को ना कह सकते थे जबकि यूपीए सरकार का फैसला इसके ठीक उलट था। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने पदभार ग्रहण करने के दौरान जोर देकर कहा था कि फिलहाल पार्टी की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हमने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को लेकर कहा है कि अभी इसे खोलना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि छोटे और मझोले व्यापारी या छोटे किसान अभी पर्याप्त रूप से शक्तिसंपन्न नहीं हुए हैं। अगर आप मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के दरवाजे खोल देते हैं तो यह उन्हें प्रभावित कर सकता है। ऐसी उम्मीद है कि इस सरकार पर इस वर्ग का यह विश्वास जरूर फलीभूत होगा।

अगर भारतीय रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग को वालमार्ट तथा ऐसे

अन्य मल्टी फेन रटोर्स के कारण, जो भारत के बाहर से वस्तुओं को आउटसोर्स करने के इच्छुक हैं, नुकसान पहुंचता है तो भारतीय उद्योग बर्बाद हो जाएंगे और यह आगे जाकर भारतीय गौरव को प्रभावित करेगा। ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के नाम पर सरकार परभक्षी मूल्यों पर विदेशी वस्तुओं के लिए दरवाजे नहीं खोल सकती।

यह सच है कि वालमार्ट काफी सस्ती कीमत पर वस्तुएं बेचेगी, लेकिन एक बार जैसे ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग उद्योग बर्बाद हुए कि फिर उसे कीमतों में हेरफेर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा।

किसी भी राष्ट्रवादी सरकार का दूसरा फोकस रक्षा का आधुनिकीकरण और आंतरिक एवं बाहरी दोनों ही सुरक्षा को मजबूत बनाने पर होगा। सालाना लगभग 2 लाख करोड़ रुपये विदेशों से रक्षा खरीदों पर खर्च किए जाते हैं। आखिर ऐसे क्या मुद्दे हैं जो इनमें से अधिकतर उपकरणों की भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने से रोकते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि एक देश जो न्यूक्लियर पावर है, अपने खुद के मिसाइल बनाता है और अपने खुद के उपग्रह भेजता है, विदेशी विमानों, पनडुब्बियों, क्रिकेटरस तथा बंदूकों के लिए अपनी निर्भरता कम करने में विफल साबित हो रहा है। समय आ गया है कि बहुपरीक्षित भारतीय प्रतिभा का अत्याधुनिक रक्षा अनुसंधान में उपयोग किया जाए और खर्च की जाने वाली राशि के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाए।

यह विदेशी ताकतों के साथ भारत के संतुलन बिंदु को प्रभावित कर सकता है लेकिन देश के स्वतंत्र विकास की रूपरेखा बनाने के लिए मजबूत फैसले लिए जाने की जरूरत है। हथियारों की खरीद पर खर्च की जाने वाली रकम से अमेरिका और दूसरे देशों में रोजगार पैदा हो रहे हैं। इस रुझान को बदले जाने की जरूरत है। स्वदेशी भावनाओं का दृढ़ विश्वास है कि इतने भारी जनादेश के साथ नरेंद्र मोदी ऐसी चीजों को पूरी तरह दुरुस्त कर देंगे।

तीसरी और शायद सबसे अहम बात वह भारतीय गौरव है जिसे अमेरिका और

समय आ गया है कि उन संदिग्ध विदेशी फंडिंग की जांच की जाए जिनका लक्ष्य राजनीतिक प्रणाली को अस्थिर करना और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए एक समानांतर शक्ति संरचना का सृजन करना है। समय आ गया है कि ऐसी फंडिंग को पारदर्शी बनाया जाए जिससे कि लोग ऐसे एनजीओ की सही मंशा से वाकिफ हो सकें।

ब्रिटेन तथा पश्चिम के अन्य देशों व यूरोपीय संघ ने 2002 के गुजरात दंगों के बाद जलील करने की हिमाकत की थी। इन देशों की फंडिंग से चल रहे गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओ ने निहित स्वार्थपरक इनसे जुड़े मसलों को उठाया और यूपीए सरकार ने उसमें पूरा साथ दिया। आखिर कैसे कोई बाहरी देश प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ वीसा प्रतिबंध घोषणा की हिम्मत कर सकती है? क्या इन बाहरी देशों में भारतीय कानून प्रणाली के प्रति कोई सम्मान नहीं है?

यूपीए सरकार ने इस संजीदा मसले का पर्याप्त विरोध नहीं किया। मसला नरेंद्र मोदी नहीं थे, मसला था भारतीय प्रजातंत्र के प्रति सम्मान। क्या अमेरिका या कोई अन्य देश मानवाधिकार उल्लंघनों की खबरों के बीच चीन के साथ यही सुलूक कर सकता है?

समय आ गया है कि उन संदिग्ध विदेशी फंडिंग की जांच की जाए जिनका लक्ष्य राजनीतिक प्रणाली को अस्थिर करना और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए एक समानांतर शक्ति संरचना का सृजन करना है। समय आ गया है कि ऐसी फंडिंग को पारदर्शी बनाया जाए जिससे कि लोग ऐसे एनजीओ की सही मंशा से वाकिफ हो सकें।

नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इन सभी मसलों को समझते हैं क्योंकि वह खुद चालबाजों द्वारा पैदा की गई परिस्थितियों के शिकार हो चुके हैं। ऐसी उम्मीद है कि चालबाजियों के इन सभी रास्तों को, जिनमें राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने की पूरी क्षमता है, ध्वस्त करने के लिए वह पूरी शिद्दत से काम करेंगे। निश्चित रूप से एक ऐसी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिससे कि किसी भी देश का कोई निर्वाचित प्रमुख, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का क्यों न हो, इन हालात का शिकार न हो।

मोदी इंडिया फर्स्ट अर्थात पहले भारत विचारधारा के चैंपियन बन कर उभरे हैं। उनमें हम स्वदेशी तथा आधुनिकता दोनों का अनोखा मिश्रण पाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वदेशी का मतलब हर विदेशी चीज का विरोध है। स्वदेशी हर विचार का भारतीय जरूरतों और अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में पड़ताल करता है। ऐसी उम्मीद है कि उनके समर्थकों को शिकायत की कोई वजह नहीं मिलेगी। ❑

प्रतिरक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की जल्दबाजी से बचे सरकार

सरकार प्रतिरक्षा के क्षेत्र में शोध और विकास कार्यों पर विशेष बल देने का काम करें और धीरे–धीरे भारतीय क्षमता के आधार पर देश में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। अभी तक चीन इत्यादि देशों को विदेशी निवेश नीति से अलग रखने का कोई प्रावधान नहीं है, सरकारी नीति की घोषणा करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे में देश में प्रतिरक्षा का साजो–सामान बने, इसकी विशेष जरूरत है। लेकिन इस कवायद में देश के सामरिक हितों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश के मामले पर सावधानी से आगे बढ़े। इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

यूपीए शासन के दौरान प्रतिरक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 26 प्रतिशत से आगे बढ़ाने की जो कवायद वर्ष 2010 में शुरू की गई थी और जिसे तत्कालीन रक्षा मंत्री एंटोनी के विरोध के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था,

को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार के आते ही दुबारा से जैसे जीवनदान मिल गया है। गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारतीय निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान की गई थी। वर्ष 2001 के प्रेस–नोट–4 के द्वारा इस नीति को पहली बार घोषित किया गया था, जिसमें भारतीय कंपनियों को प्रतिरक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत भागीदारी और विदेशी कंपनियों को 26 प्रतिशत साझेदारी की अनुमति दी गई थी।

26 मई 2014 को नरेन्द्र मोदी द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद से प्रतिरक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 26 प्रतिशत से आगे बढ़ाने के प्रयास शुरू हुए हैं। ऐसी खबर है कि इसके लिए कैबिनेट नोट भी संबंधित मंत्रालयों को भेजा जा चुका है। सरकार का कहना है कि प्रतिरक्षा क्षेत्र में हमारी 70 प्रतिशत जरूरतें आयात से पूरी होती है और मात्र 30 प्रतिशत ही घरेलू उत्पादन से। भारत में निर्मित रक्षा उपकरण भी अत्यंत पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित है और इस कारण से प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की विशेष जरूरत है। विदेशों से जो उपकरण आयात किए जाते है, उसके साथ बड़ी समस्या यह है कि उनकी रख–रखाव का जिम्मा सप्लायर कंपनियां नहीं निभाती है, इसलिए युद्ध के समय रक्षा उपकरणों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न–चिन्ह लगता है। देश के प्रतिरक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए विदेशी निवेश को खोला जाना लाभकारी होगा, ऐसा सरकार का कहना है।

क्या कहते हैं आलोचक?

इस क्षेत्र में विदेशी निवेश के आलोचकों का यह कहना है कि इससे देश की निर्भरता विदेशियों पर बढ़ जायेगी और हो सकता है कि कुछ विशेष मुल्कों और मुल्कों के समूहों पर अनावश्यक निर्भरता बढ़ जाए। आलोचकों का एक तर्क यह भी है कि युद्ध के समय विदेशी कंपनियां अपने मूल देश के सामरिक हितों से टकराव के चलते आपूर्ति भी बाधित कर सकती है और रख–रखाव और मरम्मत से भी पीछे हट सकती है। यह भी हो सकता है कि यह कंपनियां जिस प्रकार का साजो–सामान भारत में निर्माण करें, उसी प्रकार का साजो–सामान बनाकर शत्रु राष्ट्रों को भी बेच दें। यह भी संभव है कि यह कंपनियां युद्ध के उपकरण देश में आतंकवादियों को बेच दें।

क्यों चाहती है सरकार विदेशी निवेश?

ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान में 26 प्रतिशत की विदेशी निवेश की सीमा के चलते विदेशी कंपनियां अपनी तकनीक देने के लिए इसलिए तैयार नहीं है, क्योंकि व्यवसाय में उनका हिस्सा बहुत कम है, इसलिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने से वे अपनी प्रौद्योगिकी संबंधी विशेषज्ञता को अंतरित करने के लिए तैयार हो सकते हैं। यही नहीं उनकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गैर प्रतिरक्षा क्षेत्र में भी हो सकेगा। जिसके चलते रक्षा उपकरणों का उत्पादन देश में हो सकेगा और देश को विदेशों से प्रतिरक्षा उपकरण नहीं खरीदने पड़ेंगे और इससे विदेशी मुद्रा की भारी बचत हो सकेगी। यही नहीं विदेशी निवेश की उदारीकरण की नीति से देश रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर सकेगा। आज देश अपने रक्षा उत्पादन के मात्र 2 प्रतिशत का ही निर्यात कर पाता है, जबकि अन्य देशों के प्रतिरक्षा उत्पादन में निर्यात का हिस्सा कहीं ज्यादा है।

सर्वविदित है कि अमरीका और इंग्लैंड ही नहीं, ईजराइल, चीन और साउथ अफ्रीका सरीखे जैसे देश भी भारी मात्रा में हथियारों का निर्यात करते हैं।

प्रौद्योगिकी अंतरण का सच

प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने के समर्थक सबसे ज्यादा जिस तर्क का सहारा ले रहे हैं, वो यह है कि इसके माध्यम से हमें नई अत्याधुनिक प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी प्राप्त हो जाएगी और देश प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन प्रतिरक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी अंतरण के बारे में विकसित देशों, विशेषतौर पर अमरीका द्वारा अपनी कंपनियों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। गौरतलब है कि अमरीका ने पीएसएलवी के लिए क्रायोजैनिक इंजन की आपूर्ति ही नहीं रुकवाई, बल्कि सभी संबद्ध देशों को उसकी तकनीक भी भारत को देने से रोक दिया। अमरीका के कानून वहां की कंपनियों को यह इजाजत नहीं देते कि वे दूसरे मुल्कों में प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएं, चाहे वे उन देशों में उत्पादन कर रही हों। इसलिए प्रतिरक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश खोलने पर भी यह जरूरी नहीं कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरित हो जाए।

क्या है देश के लिए सही?

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भारत की निर्भरता दूसरे मुल्कों पर बहुत ज्यादा है। इससे न केवल भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा विदेशों में जाती है, बल्कि हमें प्रतिरक्षा उपकरणों के लिए कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। सोवियत संघ के विघटन के बाद देश में भारी कीमत चुका कर प्रतिरक्षा के साजो-सामान की खासी खरीद यूरोप, अमरीका और कई अन्य देशों से की जा रही है। ऐसे में प्रतिरक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने से देश में आधुनिकतम तकनीकों की मदद से प्रतिरक्षा का सामान बनाने में सहयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें प्रबंधन सौंपना देश के लिए हितकारी नहीं होगा। जिन क्षेत्रों में देश में निजी या सार्वजनिक कंपनियां कुशलता से कार्य कर रही हैं, उन क्षेत्रों में विदेशी निवेश आमंत्रित किया जाना सही नहीं होगा। उदाहरण के लिए भारत फोर्ज कंपनी द्वारा जो तोप बनाई गई है, वह अत्यंत उत्तम दर्जे की है।

देश में विदेशी निवेश के बारे में सबसे एक बड़ी चिंता का विषय सरकारों की मानसिकता का है, जो यह सोचती हैं कि हर समस्या का समाधान विदेशी निवेश से प्राप्त किया जा सकता है। विदेशी निवेशक, विशेषतौर पर प्रतिरक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश के बारे में निर्णय करते हुए, इस नीति के द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, यह न सोचते हुए इस बात पर विचार होना चाहिए कि उस क्षेत्र में विदेशी निवेश आने से इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास देश की सामरिक तैयारी और आत्मनिर्भरता में कितना लाभ होगा।

वास्तविकता यह है कि आजादी के बाद हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए प्रयास हुए, लेकिन सरकार द्वारा जितना ध्यान उसके लिए शोध और विकास कार्यों के लिए लगाया जाना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास वहां-वहां हो पाया है, जहां-जहां सरकार की ओर से विशेष प्रयास हुए हैं। उदाहरण के लिए अग्नि मिसाईल और आण्विक हथियारों की क्षमता का विकास दुनिया के लिए एक अचम्भे बने हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार प्रतिरक्षा के क्षेत्र में शोध और विकास कार्यों पर विशेष बल देने का काम करे और धीरे-धीरे भारतीय क्षमता के आधार पर देश में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। अभी तक चीन इत्यादि देशों को विदेशी निवेश नीति से अलग रखने का कोई प्रावधान नहीं है, सरकारी नीति की घोषणा करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए तो अच्छा रहेगा।

ऐसे में देश में प्रतिरक्षा का साजो सामान बने, इसकी विशेष जरूरत है। लेकिन इस कवायद में देश के सामरिक हितों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश के मामले पर सावधानी से आगे बढ़े। इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ❑

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद बैठक

31 मई – 1 जून 2014, पानीपत (हरियाणा)

देश में नई सरकार का गठन हो चुका है और देश को इस सरकार से अपार अपेक्षाएं हैं, हमें दुनिया और देश में बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर जागरूक रहने की जरूरत है। दक्षिणी अफ्रीका में सत्ता परिवर्तन के बावजूद आमजन की हालत में कोई अंतर नहीं आया क्योंकि पुरानी नीतियां ही चलती रही। आज देश में सत्ता परिवर्तन के साथ–साथ पूर्व सरकार की नीतियों को भी पलटने की जरूरत है।

– कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिनांक 31 मई और 1 जून 2014 को पानीपत, हरियाणा में सम्पन्न हुई। बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के सांगठनिक विषयों के अतिरिक्त चीन के विरुद्ध अभियान की प्रगति का आकलन किया गया। 22 प्रांतों से मंच के संयोजक, सह–संयोजक और अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में मंच के संयोजक श्री अरुण ओझा, सह–संयोजक प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, डॉ. अश्विनी महाजन, श्री सरोज मित्र एवं डॉ. धनपत अग्रवाल, अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल सहित मंच के केन्द्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और यूपीए सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था पर संकट के संदर्भ में व्यापक चर्चा हुई। बैठक में भारत में विदेशी निवेश, आर्थिक चुनौतियां और समाधान और जीएम फसलों के खुले परिक्षण से संभावित खतरों पर प्रस्ताव पारित किए गए। विदेशी निवेश पर पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि अमरीका और यूरोप के आर्थिक तंत्र का खोखलापन उजागर हो चुका है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्ष 2012–13 में, जबकि देश को मात्र 26 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, विदेशी निवेशक रॉयल्टी, ब्याज, डिविडेंट और वेतन के नाम पर 31.7 अरब डालर देश से बाहर लेकर चले गए। लगातार ऊंची बनी हुई देश की बचत दर के चलते देश को वास्तव में विदेशी निवेश पर निर्भरता की बजाय अपने संसाधनों का ठीक प्रकार से समायोजन करना चाहिए। प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि भारत सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रोजगार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और गरीबी निवारण

पर प्रभावों के मद्देनजर अध्ययन कराए और इन सभी विषयों को जोड़ते हुए एक श्वेत पत्र जारी करे। हमारी नीति निर्माण का निकष रोजगार सृजन होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव में कहा गया है।

एक अन्य प्रस्ताव में स्वदेशी जागरण मंच ने पिछली सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण बेरोजगारी, भुखमरी, रूपए की बदहाली, महंगाई और भ्रष्टाचार एवं देश पर कसते विदेशी शिकंजे के बारे में आगाह करते हुए कृषि पर अधिक ध्यान देने, कोमोडिटी एक्सचेंजों में कृषि उत्पादों को बाहर कर उनकी कीमतों को बढ़ने से रोकने का सुझाव दिया है। महंगाई को रोकने के लिए रूपए के मूल्य में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के सुझाव भी प्रस्ताव में दिए गए हैं। पिछली सरकार के शासन के 10 सालों में बेरोजगारों की संख्या में 10 करोड़ की वृद्धि हुई है। ऐसे में रोजगार परक आर्थिक नीति की जरूरत को रेखांकित करते हुए एनडीए शासन के दौरान बनी एस.पी. गुप्ता कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी प्रस्ताव में की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग में सुधार लाना है तो उसके लिए आयातों और खासतौर पर चीन से आयातों पर लगाम कसने की जरूरत है। अन्य बातों के अलावा प्रस्ताव में ब्याज दरों को घटाने, कृषि को शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की मांग भी प्रस्ताव में की गई है।

एक अन्य प्रस्ताव में स्वदेशी जागरण मंच ने जीएम फसलों के खुले में परीक्षण से संभावित खतरों के बारे में आगाह करते हुए, यह मांग की है कि जिन जी.एम. फसलों के परीक्षण की अनुमति पूर्व पर्यावरण मंत्री ने दी दी है, उनके खुले में परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। किसी भी हालत में जी.एम. पीरक्षण कभी भी बन्द ग्रीन हाउस के बाहर नहीं किए जाएं। इसके साथ ही आयातित जी.एम. द्रव्य युक्त खाद्य पदार्थों पर जी.एम. लेबल की अनिवार्य बाध्यता को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। आयातित कृषि उत्पादों व कृषि जैव द्रव्य के संबंध में कठोर संगरोध प्रक्रिया अपनायी जाए।

> **स्वदेशी जागरण मंच ने पिछली सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण बेरोजगारी, भुखमरी, रूपए की बदहाली, महंगाई और भ्रष्टाचार एवं देश पर कसते विदेशी शिकंजे के बारे में आगाह करते हुए कृषि पर अधिक ध्यान देने, कोमोडिटी एक्सचेंजों में कृषि उत्पादों को बाहर कर उनकी कीमतों को बढ़ने से रोकने का सुझाव दिया है।**

दिनांक 31 मई को एस.डी. सीनियर कॉलेज के विशाल सभागार में एक जनसभा को आयोजन भी इस दौरान किया गया। जनसभा को मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल एवं सहसंयोजक डॉ. धनपत अग्रवाल ने संबोधित किया। जनसभा की अध्यक्षता पानीपत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सुखमाल जैन ने की। इस अवसर पर पानीपत के नवनिर्वाचित सांसद एवं पंजाब केसरी के संपादक श्री अश्वनी चोपड़ा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे।

> **मंच ने जीएम फसलों के खुले में परीक्षण से संभावित खतरों के बारे में आगाह करते हुए, यह मांग की है कि जिन जी.एम. फसलों के परीक्षण की अनुमति पूर्व पर्यावरण मंत्री ने दी दी है, उनके खुले में परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। किसी भी हालत में जी.एम. पीरक्षण कभी भी बन्द ग्रीन हाउस के बाहर नहीं किए जाएं।**

मंच के संगठक श्री कश्मीरी लाल ने वर्तमान परिस्थितियों में मंच की भूमिका को विस्तार से बताते हुए कहा कि हालांकि देश में नई सरकार का गठन हो चुका है और देश को इस सरकार से अपार अपेक्षाएं हैं, हमें दुनिया और देश में बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर जागरूक रहने की जरूरत है। दक्षिणी अफ्रीका में सत्ता परिवर्तन के बावजूद आमजन की हालत में कोई अंतर नहीं आया क्योंकि पुरानी नीतियां ही चलती रही। आज देश में सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ पूर्व सरकार की नीतियों को भी पलटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पानीपत के उद्योग न केवल भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहे हैं, इस क्षेत्र में रोजगार के भारी सृजन में भी इनका विशेष योगदान है। उन्होंने पानीपत के उद्योगों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग प्राप्त कर रहे संगठनों द्वारा झूठे प्रचार के बारे में भी आगाह किया।

मंच के सहसंयोजक डॉ. धनपत अग्रवाल ने देश में आर्थिक संकटों के मद्देनजर विशेष प्रयास करने पर बल दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अश्वनी चोपड़ा ने विचार व्यक्त किया कि देश में प्रौद्योगिकी विकास की विशेष आवश्यकता है और कठिन परिस्थितियों में अपने देश की प्रौद्योगिकी ही समाधान दे सकती है। ❑

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद बैठक, पानीपत (हरियाणा) में 31 मई – 1 जून 2014 को सम्पन्न हुई। इस राष्ट्रीय परिषद बैठक में तीन प्रस्ताव पारित किए गए। जिन्हें हम कार्यकर्ताओं और पाठकगण के लिए पत्रिका में प्रकाशित कर रहे हैं – सं.

पारित प्रस्ताव– 1

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश

"स्वदेशी जागरण मंच का मत है कि पिछले दो दशकों की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की समीक्षा कर ऐसे निवेश की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया जाए और उपरोक्त सभी पक्षों को शामिल करते हुए एक श्वेत पत्र जारी करे। प्रत्यक्ष विदेशी एवं संस्थागत निवेश का देश की आर्थिक स्थिति पर दूरगामी परिणाम होता है। स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद मांग करती है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के देश की आर्थिक स्थिति पर हुए प्रभाव का अध्ययन कर, रोजगार निर्मिति, तकनीकी, उन्नयन तथा गरीबों के उद्धार में इस निवेश का क्या सहयोग रहा है, इसका अध्ययन किया जाए।"

सघन चर्चा, बहस एवं आंदोलनात्मक कार्यक्रमों के कारण आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश में सबसे चर्चित विषय है। विविध क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को पिछले दशक में अंधाधुंध रूप से खोला गया है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लगभग सभी क्षेत्रों में खोला गया है। अब हमें इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का देश की जनता एवं आर्थिक स्थिति पर क्या परिणाम हुआ है इसका आकलन करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध है।

विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हिस्सा मात्र 5 प्रतिशत तक रहा है तथा घरेलू बचत से विकास दर सतत् ऊंचा बना रहा है। 2007–08 से चली हालांकि मुद्रा के प्रसार के माध्यम से ये देश आज किसी प्रकार से बच पाये हैं वैश्विक आर्थिक मंदी ने अमरीका एवं यूरोपीय समुदाय जैसी आर्थिक महाशक्तियों के खोखलेपन को उजागर किया है। लेकिन दीर्घकालीन रूप से ये देश एशियाई देशों की ओर चिरंजीवी विकास के प्रारूप के लिए आशा भरी निगाहों से देख रहे है।

स्वदेशी जागरण मंच की यह मान्यता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विदेशी संस्थागत निवेश ने देश का भले से बुरा ही अधिक किया है। हमें ध्यान में आता है कि सन् 1992–93 में ब्याज, लाभांश, अधिकार शुल्क, वेतन एवं ऐसे माध्यमों से डॉलर 3.8 बिलियन की विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई है जो सन 1992–93 में डॉलर 31.7 बिलियन हो गई। जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सन 2012–13 में मात्र डॉलर 26 बिलियन रहा है। विदेशी संस्थागत निवेश यह विदेशी निवेश दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। संस्थात्मक विदेशी निवेश के अचानक निकाले जाने से प्रतिभूति बाजार में भारी गिरावट देखी गयी जिससे भारतीय निवेशकों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। विदेशी संस्थागत निवेश के निकल जाने से रुपए पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है।

बचत हमारे देश के जनसामान्य की आदत है तथा 30 प्रतिशत से अधिक बचत परिवार द्वारा की जाती है। ऐसी बचत से देश का विकास दर गत दो दशकों में बढ़ता रहा है। देश में बचत से उपलब्ध निधि के द्वारा मैन्यूफैक्चरिंग की क्षमता बढ़ाने पर हमारा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अनुसंधान एवं विकास पर अधिक व्यय करते हुए विकास योजना पर ध्यान देने से विदेशी मुद्रा को बहिर्गमन पर काबू पाया जा सकता है। यह चालू खाते घाटे को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।

देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई अध्ययनों का मत है कि भारत अपनी खरबों रुपए घाटे की मैन्यूफैक्चरिंग लागत की आवश्यकताओं को स्वयं ही पूर्ण कर सकता है। इसके लिए उसे विदेशी निवेश की आवश्यकता नहीं है। अब समय आया है कि जब हमारे देश ने विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के समक्ष निवेश के लिए गिड़गिड़ाने की अपेक्षा दृढ़ रहकर स्वावलंबन की ओर जाने वाले देशों को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए।

देश में बहुमत से स्थापित मजबूत नेतृत्व वाली सरकार के गठन पर स्वदेशी जागरण मंच को प्रसन्नता है तथा हम सरकार का अभिनंदन करते है। वाणिज्य

मंत्री द्वारा खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अवधीकृत करने के बयान से हमें संतोष है।

वैश्विक आर्थिक मंदी आने से दुनिया को स्पष्ट हो गया है कि विकसित देश अत्यधिक देनदार है एवं एशियाई देश उनके लेनदार है। वास्तव में विकसित देश ही पूंजी के अभाव को महसूस कर रहे है। केवल चीन, कोरिया जैसे देशों के पास ही विदेशी मुद्रा का भंडार है। सत्ता परिवर्तन से देश के घरेलू निवेशकों की आशाएं पल्लवित हुई है तथा वे शासन की योजनाएं एवं विस्तार कार्य में अपना सहयोग प्रदान करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। घरेलू निवेश एवं सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। स्वदेशी जागरण मंच का मत है कि पिछले दो दशकों की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की समीक्षा कर ऐसे निवेश की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया जाए और उपरोक्त सभी पक्षों को शामिल करते हुए एक श्वेत पत्र जारी करे। प्रत्यक्ष विदेशी एवं संस्थागत निवेश का देश की आर्थिक स्थिति पर दूरगामी परिणाम होता है। स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद मांग करती है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के देश की आर्थिक स्थिति पर हुए प्रभाव का अध्ययन कर, रोजगार निर्मिति, तकनीकी, उन्नयन तथा गरीबी के उद्धार में इस निवेश का क्या सहयोग रहा है, इसका अध्ययन किया जाए। ❑

पारित प्रस्ताव– 2

आर्थिक चुनौतियां और समाधान

"स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय परिषद देश की सरकार से आह्वान करती है कि देश के समक्ष भीषण आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर पूर्व सरकार की कृषि की अनदेखी समाप्त करे, कृषि उत्पादों को कॉमोडिटी एक्सचेंज से बाहर करे। कृषि और लघु उद्योगों को राष्ट्रीय अर्थनीति के केन्द्र में लाया जाना चाहिए। रेलवे बजट की तर्ज पर कृषि बजट बनना चाहिए। कृषि ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाए।"

स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय परिषद केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का स्वागत करती है। उल्लेखनीय है कि इस सरकार को एक बीमार अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भारी राजकोषीय और भुगतान घाटे, भ्रष्टमरी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त इस अर्थव्यवस्था को पुनः अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने, गरीब और बेरोजगार की विपदाओं को समाप्त करने और रूपये की बदहाली का अंत करने के लिए जरूरी है कि तुरंत कुछ प्रभावी कदम उठाये जायें। जरूरी है कि ऐसी समस्त नीतियों, कार्यक्रमों और प्रकल्पों की पहचान की जाए, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में खुशहाली लाई जा सके।

पिछले एक दशक से चल रही यूपीए सरकार द्वारा अपनायी गई जनविरोधी आर्थिक नीतियों के कारण देश केवल महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक गिरावट आदि की त्रासदी से ही ग्रस्त नहीं हुआ, देश पर विदेशी ताकतों का प्रभुत्व भी बढ़ा और देश जो इससे पूर्व दुनिया में अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर हो रहा था, विकास की दौड़ में पिछड़ने लगा।

स्वदेशी जागरण मंच मानता है कि देश के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों के मद्देनजर नई सरकार की राह कठिन है, कई ठोस और कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार है। आज जरूरत इस बात की है कि पूर्व सरकार की कृषि की अनदेखी को समाप्त करते हुए कृषि उत्पादन, विशेष तौर पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने का काम किया जाए। गौरतलब है कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और मांग में असंतुलन के कारण पिछले तीन सालों में खाद्य पदार्थों की कीमतें 50 प्रतिशत बढ़ चुकी है। सटोरियों और कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पिछले लगभग 15 सालों से कॉमोडिटी एक्सचेंजों में कृषि उत्पादों का वायदा बाजार चलाया जा रहा है। यह सर्व मान्य है कि इस वायदा बाजार, जिसमें कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतें बढ़ाई जाती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती है। किसानों को इससे कोई लाभ नहीं होता। कॉमोडिटी एक्सचेंजों से खाद्य पदार्थों को बाहर करने से बढ़ती खाद्य कीमतों को रोका जा सकता है। यही नहीं विदेशों से आयात पर रोक लगनी चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा की मांग घटे और रूपये पर दबाव कम हो सके। रूपये में 10 प्रतिशत का सुधार देश में मुद्रा स्फीति को 3 प्रतिशत तक कम कर

सकता है।

नई सरकार के सामने एक अन्य चुनौती रोजगार सृजन की है। पिछली सरकार में दस साल के शासनकाल में बेरोजगारी की संख्या में दस करोड़ की वृद्धि हुई है। बढ़ती बेरोजगारी से युवाओं में कुंठा और हताशा बढ़ा रही है। समय की मांग है जहां-जहां संभव हो बड़ी पूंजी के स्थान पर लघु उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए. ऐसी तकनीकों का उपयोग हो जहां श्रम का उपयोग बढ़े। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। 12 साल पहले बनी एस.पी. गुप्ता कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए।

देश में मैन्युफैक्चरिंग बुरी अवस्था में है। मैन्युफैक्चरिंग संवृद्धि दर जो 10 से 15 प्रतिशत के बीच चल रही थी, पिछले साल ऋणात्मक 0.2 प्रतिशत पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि आज इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रोनिक उपभोक्ता वस्तुएं ही नहीं, बड़ी मात्रा में प्रोजेक्ट वस्तुओं, पूंजीगत साज सामान और पावर प्लांट भी आयात किए जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी भारतीय कंपनियां जैसे बी.एच.ई., लार्सन एण्ड टुब्रो इत्यादि की ऑर्डर बुक सूख रही है और पूंजीगत वस्तुओं का आयात भारी मात्रा में हो रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय परिषद देश की सरकार से आह्वान करती है कि देश के समक्ष भीषण आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर पूर्व सरकार की कृषि की अनदेखी समाप्त करे, कृषि उत्पादों को कॉमोडिटी एक्सचेंज से बाहर करे।

कृषि और लघु उद्योगों को राष्ट्रीय अर्थनीति के केन्द्र में लाया जाना चाहिए। रेलवे बजट की तर्ज पर कृषि बजट बनना चाहिए। कृषि ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाए। मैन्युफैक्चरिंग को पटरी पर लाने के लिए जरूरी है कि मंहगाई को थामते हुए ब्याज दरों को घटाया जाए, आयातों विशेष तौर पर चीन से आयातों पर रोक लगे। हर वस्तु पर अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ-साथ लागत मूल्य घोषित हो। ❑

पारित प्रस्ताव– 3

जी.एम. फसलों के खुले परीक्षण के खतरे

"स्वदेशी जागरण मंच सरकार से आग्रह करता है कि जिन जी.एम. फसलों के परीक्षण की अनुमति पूर्व पर्यावरण मंत्री ने दे दी है, उनके खुले में परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। कोई भी जी.एम. परीक्षण कभी भी बन्द ग्रीन हाउस के बाहर नहीं किए जाएं। इसके साथ ही जी.एम. द्रव्य युक्त खाद्य पदार्थों पर जी.एम. लेबल की अनिवार्य बाध्यता को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। आयातित कृषि उत्पादों व कृषि जैव द्रव्य के संबंध में कठोर संगरोध प्रक्रिया अपनायी जाए। इसके अतिरिक्त कृषि जैव आतंकवाद से सुरक्षा के भी समुचित कदम उठाए जाने चाहिए।"

देश में जैव रूपान्तरित फसलों अर्थात् जेनेटिकली मॉडिफाइड (जी.एम.) फसलों के परीक्षण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन होने पर भी पूर्व पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोयली द्वारा फरवरी 28 को ऐसी 200 प्रजातियों के परीक्षण की अनुमति दे देने से देश के पारिस्थितिकी तंत्र के सम्मुख एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। देश के सम्पूर्ण वानस्पतिक जगत, उसके जैव द्रव्य और जीव सृष्टि के सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करने वाले इन परीक्षणों पर रोक लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के कारण बताओ नोटिस की अनदेखी कर आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले अनुमति दे देना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण एवं सन्देहास्पद है। इन परीक्षणों के विरुद्ध सुनवाई के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने भी इन परीक्षणों पर रोक की अनुशंसा की है। सर्वोच्च न्यायालय के कारण बताओ नोटिस का उत्तर देकर न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने के स्थान पर तत्कालीन पर्यावरण मंत्री मोयली द्वारा पर्यावरण के लिए इन घातक प्रभाव वाले परीक्षणों को अनुमति दे देने में की जल्दबाजी के गंभीर दुष्परिणाम होंगे।

वस्तुतः खुले में इन जैव रूपान्तरित फसलों के परीक्षण की दशा में इनके पराग कण विकिरण से आस-पास की साधारण फसलों या अन्य किन्हीं पादप प्रजातियों के जैव द्रव्यों को अनजाने में ही प्रदूषित कर सकते हैं। इस प्रकार पर-परागण या परा-निषेचन से प्रदूषण की संभावना को निर्मूल करने के लिए जी.एम. फसलों में

टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी अर्थात बांझ बीजों का उपयोग करने की दशा में, किसानों को उनकी फसल से बीज नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसलिए परागणकणों के विकिरण को रोकने के लिए ये परीक्षण खुले में न कर कांच या पी.वी.सी. के ग्रीन हाउस में ही किए जाने चाहिए।

परीक्षण के बाद भी इन फसलों की खेती की दशा में भी जैव रूपान्तरित फसलों में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की संभावनाएं बनी रहती है। उत्परिवर्तन की दशा में ही यह फसल अधिक गुणकारी या घातक व एलर्जी पैदा करने वाली अथवा विषैली हो सकती है। इसलिए बिना टर्मिनेटर या बांझ बीजों के बिना इनकी खेती करना जन स्वास्थ्य व हमारे जैव द्रव्य की शुद्धता के लिए खतरनाक है। दूसरी ओर टर्मिनेटर या बांझ बीजों से किसान को बीज-विहीन कर देना भी खतरनाक है। इसके अतिरिक्त कीटाणुरोधी जी.एम. फसलों के कारण संवर्द्धित कीट या सुपर पेस्ट विकसित होने की घटनाएं भी खतरनाक हैं। ऐसे परिवर्तन कपास के डोडा कीट में भी हुए हैं।

परीक्षणों के बाद व्यापारिक स्तर पर इन्हें उगाने पर ये खाद्य कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसके भी कुछ उदाहरणों व प्रयोगों का उल्लेख यहां आवश्यक है। अनेक प्रयोगों में जी.एम. टमाटर से चूहों के आमाशय में रक्तस्राव, बी.टी. आलू से चूहों में आंत्रक्षति, बी.टी. मक्का से सूअरों व गायों में बन्ध्यापन, आर.आर. सोयाबीन से चूहों, खरगोशों आदि के यकृत, अग्नयाशय आदि पर दुष्प्रभाव आदि के अनेक मामले प्रायोगिक परीक्षणों के सामने आए हैं। जी.एम. फसलों से व्यक्ति में एण्टीबायोटिक दवाओं के विरुद्ध प्रतिरोध उपजना, कोशिका क्षयापचय (सेल मेटाबालिज्म) पर प्रतिकूल प्रभाव आदि जैसी अनेक जटिलताओं के भी कई शोध परिणाम सामने आए हैं। बी.टी. कपास की चराई के बाद कुछ भेड़ों के मरने आदि के भी समाचार आते रहे हैं। जी.एम. फसलों या खाद्य के अनगिनत दुष्प्रभावों के परिणाम प्रयोगों में सामने आते रहे हैं।

कुछ समय पूर्व, नवंबर 12, 2012 को आस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने 'क्रेन्केन' नाम जैव रूपान्तरित गेहूं के बारे में चेतावनी देते हुए कहा है कि इस गेहूं से यकृत खराब (लीवर फैल्यर) हो सकता है। पागलपन या खाने वाले की अनुवांशिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। इस गेहूं में बाहरी वंशाणु (जीन) प्रवेश कराने के स्थान पर इसी के कुछ वंशाणु अवरुद्ध (जीन ब्लाक) किए गए हैं।

जी.एम. फसलों के उपरोक्त प्रत्यक्ष दुष्प्रभावों के अतिरिक्त देश में प्रत्येक फसल की प्रजातियों में जो अथाह विविधता है और जिसके कारण प्रत्येक प्रजाति में प्रकृति में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के विरुद्ध प्रतिरोध की भिन्न-भिन्न प्रकार की विविधतापूर्ण सामर्थ्य है। उनके स्थान पर एक ही जी.एम. फसल लेने पर हमारी विविध वैशिष्ट्य वाली जैविक निधि विलोपित हो जायेगी। इसके अतिरिक्त पराग कण विकिरण की संभावनाओं के चलते क्या इनके खुले परीक्षण के लिए कदम बढ़ाने चाहिए ? एक बार किसी देश की कृषि व उसकी कृषि फसलों सहित संपूर्ण वानस्पतिक जगत के जैव द्रव्य के प्रदूषण से होने वाली क्षति की पूर्ति क्या कभी भी संपूर्ण हो सकेगी? यदि नहीं तो वीरप्पा मोयली का यह निर्णय तत्काल उलटना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राज्यों को भी अपने अधिकारों का उपयोग कर इन परीक्षणों को अनुमति नहीं देनी चाहिए।

इसलिए स्वदेशी जागरण मंच सरकार से आग्रह करता है कि जिन जी.एम. फसलों के परीक्षण की अनुमति पूर्व पर्यावरण मंत्री ने दे दी है, उनके खुले में परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। कोई भी जी.एम. परीक्षण कभी भी बन्द ग्रीन हाउस के बाहर नहीं किए जाएं। इसके साथ ही जी.एम. द्रव्य युक्त खाद्य पदार्थों पर जी.एम. लेबल की अनिवार्य बाध्यता को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। आयातित कृषि उत्पादों व कृषि जैव द्रव्य के संबंध में कठोर संगरोध प्रक्रिया अपनायी जाए। इसके अतिरिक्त कृषि जैव आतंकवाद से सुरक्षा के भी समुचित कदम उठाए जाने चाहिए। मंच अपने सभी कार्यकर्ताओं, नागरिकों के जागरूक संगठनों, किसान बंधुओं एवं समस्त देशवासियों का भी आवाह्न करता है कि हमारी कृषि जैव संपदा के प्रति जी.एम. फसलों से उपजे संकटों के विरुद्ध हम एकजुट हो जाएं। ❑

स्वदेशी केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं, इसमें स्वदेशी का भाव भी पर्याप्त मात्रा में है। वास्तव में राष्ट्र की अस्मिता का उद्गार है – स्वदेशी। स्वदेश का अभियान और राष्ट्र प्रेम का साक्षात्कार स्वदेशी वस्तुओं के रूप में सामने आता है। स्वदेशी वस्तुओं में राष्ट्र-भावना के दर्शन होते हैं।

– महात्मा गाँधी जी

किसानों की सुध ले - सरकार

इस वर्ष मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की है। इसलिए नई सरकार को तत्काल ध्यान होगा ताकि संभावित सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। कृषि को आर्थिक रूप से उपयोगी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर भी विचार करना होगा। आखिर भारत कृषि को समृद्ध क्यों नहीं बना सकता ताकि किसान आत्महत्याएं न करें। नरेंद्र मोदी के पास गरीबों के लिए सोचने और इस दिशा में कार्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चित ही कृषि के गौरव को बहाल करके युवाओं, महिलाओं और किसानों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है।

■ देविन्दर शर्मा

नरेंद्र मोदी को मिले प्रचंड बहुमत व पूंजी बाजार के हर्षोल्लास के बीच आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं का दर्दनाक विलाप कहीं दब सा गया है और यह अब बेसुरी-सी आवाज बन गया है। मेरे विचार से यह सबसे बड़ी नीतिगत चुनौती है, जो देश को विपदा में डालने वाली है। इसलिए जब मैंने संसद के सेंट्रल हॉल में दूसरे दिन नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए सुना कि हमारी सरकार गरीबों के लिए सोचेगी, उनके लिए कार्य करेगी और उनके लिए जिएगी तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी सरकार होगी जो भारत के गांवों में रहने वाले लोगों, देश के युवाओं व महिलाओं के लिए समर्पित होगी। इस भाषण से मेरी उम्मीदें फिर से जग गईं।

एक ऐसे देश में जहां कृषि वर्षों से उजाड़ है, जहां प्रति वर्ष करीब 50 लाख लोग खेती छोड़ कर शहरों में छोटी-मोटी नौकरी की तलाश में पलायन कर रहे हों, वहां कृषि को फिर से खड़ा करना नई सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है।

देश में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या दिनोंदिन तेजी से बढ़ रही है। हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में डॉ. जीवी रामनजानेयुलु बताते हैं कि पिछले कुछ सप्ताह से विदर्भ क्षेत्र में प्रतिदिन पांच किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना क्षेत्र में भी किसानों की खुदकुशी की खबरें मिल रही हैं। उन्होंने यह आकलन क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर निकाला है। बुंदेलखंड में एक सिविल सोसायटी कार्यकर्ता संजय सिंह के अनुसार कि पिछले 15 दिनों में प्रतिदिन 2-3 किसान आत्महत्या करने को विवश हुए। एक समाचार पत्र के मुताबिक खाद्यान्न का कटोरा कहे जाने वाले पंजाब में पिछले 40 दिनों में 10 किसानों ने आत्महत्या की है।

> **भारत में हर एक घंटे में दो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह की हत्याओं का सिलसिला अनवरत जारी है। पिछले कुछ सप्ताहों में किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं कृषि के साथ नीति निर्माताओं की उदासीनता और उनकी उपेक्षा को दर्शाती हैं। किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो वे समाज पर बोझ हैं, इसलिए सारी कोशिश इस बात पर है कि वह किसी तरह कृषि कार्य छोड़ें और शहरों में पलायन करें। बहुत शीघ्र देश को इससे छुटकारा पाना होगा और यह देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए भी बेहतर होगा।**

बुंदेलखंड क्षेत्र में इस वर्ष के प्रथम तीन माह में ही 106 किसानों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें सामने आईं। सिविल सोसायटी कार्यकर्ता संजय सिंह के मुताबिक, 31 मार्च 2014 तक 106 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। मध्य भारत के तमाम हिस्सों में खराब मौसम के कारण जब खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो कर्ज में डूबे इन किसानों को कोई सहारा नहीं दिया जाता।

पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में फरवरी-मार्च में ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसल बर्बाद होने से 101 किसानों ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इनमें से 30 आत्महत्याएं तो अप्रैल में की गईं। कुछ दिनों पूर्व कर्ज में डूबे दो किसान भाइयों 33 वर्षीय जुगराज सिंह व 30 वर्षीय जगतार सिंह के बारे में एक खबर पढ़ी कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये पंजाब के मानसा जिले के हसनपुर गांव के रहने वाले थे। उन्होंने पंजाब कोआपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, बुढलाडा से

तीन लाख रुपये का लोन ले रखा था। बकाया राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधित बैंक ने उन्हें नोटिस भेजा था। पैसा नहीं लौटा पाने के कारण उन्होंने अपने जान ले ली। दुर्भाग्य से 13 वर्ष पहले उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी। हर कहीं कहानी एक सी है। बढ़ता कर्ज और घटती आय। पिछले 17 वर्षों में तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है।

भारत में हर एक घंटे में दो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह की हत्याओं का सिलसिला अनवरत जारी है। पिछले कुछ सप्ताहों में किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं कृषि के साथ नीति निर्माताओं की उदासीनता और उनकी उपेक्षा को दर्शाती हैं। किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो वे समाज पर बोझ हैं. इसलिए सारी कोशिश इस बात पर है कि वह किसी तरह कृषि कार्य छोड़ें और शहरों में पलायन करें। बहुत शीघ्र देश को इससे छुटकारा पाना होगा और यह देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए भी बेहतर होगा।

हालांकि मुझे देश के किसानों की हालत को लेकर कोई बहुत अधिक उम्मीद नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रतिदिन करीब 2400 किसान कृषि कार्य को छोड़ रहे हैं और छोटी नौकरी के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस वजह से गांवों से शहरों की ओर पलायन तेजी से बढ़ रहा है। ये किसान शहरों में आकर या तो गार्ड बन जाते हैं अथवा रिक्शा चलाने का काम करते हैं। मैं इस आर्थिक तर्क को कभी नहीं समझ पाया कि पहले कृषि क्षेत्र में मौजूद रोजगार को खत्म किया जाए और फिर शहरों में दिहाड़ी मजदूरी वाले रोजगार पैदा किए जाएं।

यह एक कटु तथ्य है कि करीब 60 प्रतिशत किसान भूखे पेट सोने को विवश हैं। इससे अधिक आश्चर्यजनक और कुछ नहीं है कि देश का अन्नदाता किसान जो लोगों के खाद्यान्न पैदा करता है, खुद भूखे सोता है। इस संदर्भ में अर्थशास्त्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि वह चुनावों में किए गए वादे को पूरा करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने वाले किसानों को लाभ का 50 फीसद हिस्सा दिया जाए। मेरा सवाल है कि जब कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो नई सरकार किस तरह महंगाई को कम कर पाएगी।

आज अर्थशास्त्री भी यही चाहते हैं कि सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध कराकर देश का पूरा बोझ खुद किसान ही उठाएं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई बार कहा है कि भारत को 70 फीसद किसानों की जरूरत नहीं है. इसलिए जनसांख्यिकीय बदलाव की त्वरित आवश्यकता है। इसी कारण कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने पर्याप्त धन नहीं दिया। यह जानकर हैरत होती है कि 12वीं योजना के दौरान देश को 60 फीसद रोजगार देने वाले क्षेत्र कृषि के लिए महज 1.50 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस तरह के क्षुद्र निवेश के सहारे आप किस तरह के चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं? कृषि क्षेत्र में आज अधिक निवेश की आवश्यकता है। 2014-15 में कॉरपोरेट जगत को बतौर टैक्स छूट 5.73 लाख करोड़ रुपये दिए गए।

इस वर्ष मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की है। इसलिए नई सरकार को तत्काल ध्यान होगा ताकि संभावित सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। कृषि को आर्थिक रूप से उपयोगी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर भी विचार करना होगा। आखिर भारत कृषि को समृद्ध क्यों नहीं बना सकता ताकि किसान आत्महत्याएं न करें। नरेंद्र मोदी के पास गरीबों के लिए सोचने और इस दिशा में कार्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चित ही कृषि के गौरव को बहाल करके युवाओं, महिलाओं और किसानों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। ❑

कृषि

भारत में जैविक खेती - संभावनाएं व नीतियां

भारत में किसानों की एक बड़ी संख्या नई जानकारी प्राप्त कर उसका उपयोग करने में सक्षम है। महाराष्ट्र, गुजरात में सहकारी फल, सब्जी व दूध उत्पादन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता के लिये जाने जाते है। जैविक खेती में भी किसानों ने संघ बनाकर या एकल ही प्रमाणीकरण करवाकर उत्पादों को निर्यात कर रहे है।

■ अरुण के. शर्मा

जैविक खेती भारत के लिये नई नहीं है वरन् प्राचीन काल से चली आ रही है। हाँ बाजार की मांग व विज्ञान से मिली प्रकृति के नियमों के उपयोग की बेहतर जानकारी से भारत जैविक खेती में सबसे आगे हो सकता है साथ ही रसायनिक खेती से पैदा हुए दुष्प्रभावों को भी समाप्त किया जा सकता है। हमारे देश की कुछ विशेषताएं जिनका उपयोग कर देश जैविक खेती में अग्रणी बन सकता है वे निम्न है –

भारत की भौगोलिक विविधता

भारत विश्व में अनोखा देश है जहां पहाड़ से लेकर समुद्र तट की जलवायु 10 से लेकर 2000 सेमी तक वर्षा, रेतीली से लेकर दलदली तक भूमि, कहीं सर्दी में बारिश, कहीं गर्मी में बारिश आदि विभिन्नताओं के कारण विश्व में मांगे जाने वाले लगभग सभी कृषि उत्पाद यहीं पैदा किए जा सकते है। खासकर गर्म क्षेत्रों के फल व मसाले। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि ठंडे देश में उगने वाले उत्पादों को हम ग्रीन हाउस में अत्यधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके पैदा करें। जैविक खेती में ऊर्जा संरक्षण भी एक बड़ा सिद्धांत है जो प्राकृतिक विविधता के उपयोग से पूरा किया जा सकता है।

सैकड़ों वर्षों से स्थापित पारंपरिक खेती

हमारी पारंपरिक खेती की जड़े सैकड़ों वर्ष पुरानी है जब रसायनिक उर्वरक और कीटनाशक का नामोनिशान भी नहीं था तब प्रकृति के नियमों का उपयोग कर खाद बनाना, बीज बनाना, वानस्पतिक कीट नियंत्रक आदि के बारे में इतना ज्ञान का विकास हो चुका था कि यदि उस ज्ञान को पुनः उपयोग शुरू करें तो जैविक खेती बड़ी सरलता से अपनाई जा सकती है। बारानी क्षेत्रों (देश का 55 प्रतिशत भाग) में आज सरलता से अपनाया जा सकता है। क्योंकि ये परंपराएं मिट्टी–जलवायु आधारित है कई बुजुर्गों को अभी भी इन परंपराओं के बारे में ज्ञान है अतः यदि उनसे इस ज्ञान को समय रहते ग्रहण कर लिया जाए तो हमारे बुजुर्गों और परंपराओं दोनों का सम्मान होगा और जैविक खेती करने का रास्ता बहुत सरल हो जाएगा।

आत्मनिर्भर कृषि

जैसा कि उपरोक्त बिन्दु में कहा गया है कि हमारी पारंपरिक खेती स्थानीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर आधारित है और यह आत्मनिर्भर खेती की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर बाहरी संसाधनों पर सम्पूर्ण निर्भरता बना लेते है जैसे रसायनिक खेती में हो रहा है यानि उर्वरक–कीटनाशक–सिंचाई जल सभी बाहर से एक केन्द्रीय व्यवस्था से आते है इससे एक तो स्थानीय संसाधनों के संरक्षण की ओर ध्यान न जाने से उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है जैसे नहर का पानी आने से गाँवों में वर्षा जल संग्रहण के सभी साधन जैसे तालाब, पोखर आदि बेकार हो गए है उनमें मिट्टी भर रही है।

दूसरे, साधनों का केन्द्रीकरण होने से निर्णय लेने की शक्ति का भी केन्द्रीकरण हो जाता है जैसे खाद, बीज, उपज का मूल्य दिल्ली में निर्धारित होता है न कि स्थानीय बाजार में। इसी केन्द्रीयकृत व्यवस्था का लाभ उठाने, दूसरे शब्दों में किसानों को और अधिक पराधीन बनाने, कई बड़े–बड़े व्यवसायिक घराने और विदेशी कंपनियां बहुत तेजी से अनुबंध खेती के रूप में अपना जाल फैला रही है। अतः समय रहते हमारी परंपरागत आत्मनिर्भर जैविक खेती को सुधार कर अपनाने से खेती और किसान लम्बे समय तक स्थाई रह सकेंगे।

प्रगतिशील किसान

भारत में किसानों की एक बड़ी संख्या नई जानकारी प्राप्त कर उसका उपयोग करने में सक्षम है। महाराष्ट्र, गुजरात में सहकारी फल, सब्जी व दूध उत्पादन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता के लिये जाने जाते है। जैविक खेती में भी किसानों ने संघ बनाकर या

एकल ही प्रमाणीकरण करवाकर उत्पादों को निर्यात कर रहे है। सहकारिता और लघुता दोनों ही जैविक खेती को सफल बनाने के लिये अपरोक्ष रूप से बहुत सहायक होते हैं और ये दोनों ही भारतीय किसानों में बढ़ रहे हैं इनको बढ़ाने में सरकारी व स्वयंसेवी संस्थाएं भी भरपूर सहयोग दे रही है। प्रत्येक गांव में स्थापित सहकारी क्रय–विक्रय समितियों का उपयोग जैविक खेती बढ़ाने के लिए अच्छी तरह किया जा सकता है।

समृद्ध ज्ञान का आधार

भारत में 100 से भी अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शोध संस्थान, 30 कृषि विश्वविद्यालय, 400 से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र, राज्य सरकारों के कृषि विभाग और कई स्वयंसेवी संस्थाएं आदि मिलाकर लाखों कृषि विभाग देश के हर कोने की मृदा जलवायु के आधार पर कृषि तंत्र विकसित करने का ज्ञान रखते है। आवश्यकता सिर्फ उन्हें जैविक खेती का ज्ञान और प्रशिक्षण देने की है। इसके साथ ही हमारे किसानों के पास परंपरागत खेती का विशाल ज्ञान भण्डार भी है। अतः थोड़े से प्रयास से जैविक खेती का प्रचार और प्रसार हो सकता है।

मानव श्रम की उपलब्धता

भारत की जनसंख्या का सदुपयोग सिर्फ जैविक खेती से ही हो सकता है क्योंकि जैविक खेती में श्रम की प्रधानता होती है। जैविक खेती में गाँवों में कई पढ़े–लिखे बेरोजगारों व महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। सभी को रोजगार मिलने से पर्यावरण की रक्षा के साथ–साथ जैविक खेती से देश की शांति और खाद्यान्न सुरक्षा भी बढ़ेगी।

विशाल बारानी क्षेत्र

देश के लगभग 55 प्रतिशत (70 लाख है), कृषि क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती होती है और इन क्षेत्रों में या तो रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है या सिंचित क्षेत्रों के मुकाबले बहुत कम उपयोग होता है और इन्हें जैविक खेती में बदलना न केवल आसान होगा वरन् उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक होगा। इसे ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सर्वे के आधार पर 11 राज्यों में जहां उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग

जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण पर काफी लागत आती है और बिना प्रमाणीकरण के उपभोक्ता जैविक उत्पाद होने का विश्वास भी नहीं कर पाता है। अतः जैविक उत्पादों की विक्रय को सुनिश्चित करने के लिए सहकारी विपणन व राज्यों के विपणन व्यवस्था व भारतीय खाद्य निगम से जैविक खाद्यान्न खरीदने के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए।

कम होता है (मुख्यतः बारानी क्षेत्र), उन्हें जैविक खेती की शुरूआत करने के लिए प्राथमिकता दी है।

औषधीय पौधों की खेती

भूमि और जलवायु की विभिन्नता के कारण और विकसित आयुर्वेद पद्धति होने से हमारे पास औषधीय पौधों की संख्या और मात्रा विश्व में दूसरे नम्बर पर है किन्तु प्राकृतिक खेती की अति दोहन से इनकी मात्रा तो कम हो रही है पर बाजार में मांग बढ़ रही है ऐसी स्थिति में औषधीय पौधों की खेती इस मांग को पूरा कर सकती है और औषधीय पौधों की खेती में जैविक उत्पादन ही होना चाहिये ताकि औषधीयां अमृत बन सकें अन्यथा रसायनिक खेती से तो औषधी की जगह विष बन सकती है। अतः औषधीय पौधों की जैविक खेती से उत्पादित कर देश–विदेश की बढ़ती मांग को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। इतनी सारी विशेषताओं का सदुपयोग कर हमारा देश जैविक खेती के उत्पादन, अनुसंधान व निर्यात में विश्व का अग्रणी देश बन सकता है।

देश के किसान उपभोक्ता हितैषी नीति

जैविक खेती सिर्फ निर्यात के लिए करना देश के किसानों और उपभोक्ता यानि आम जनता के हितों की अनदेखी करना है कुल खाद्य उत्पादन का 5 प्रतिशत से भी कम का निर्यात होता है शेष 95 प्रतिशत तो देश के उपभोक्ता के लिए काम आना है जिसमें भूमि किसान उपभोक्ता तीनों के लिए स्वास्थ्य व आर्थिक सुधार से सीधा संबंध है अतः जैविक खेती को बड़े परिदृष्ट में देखते हुए –

(1) इसे स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वन व पर्यावरण मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय का साझा कार्यक्रम घोषित करना चाहिए।

(2) एड्स–पोलियो अभियान की तरह जैविक भोजन की उपलब्धता व जागरूकता बढ़ाने के लिए सघन अभियान कार्यक्रम चलाने चाहिए।

(3) महिलाएं चूंकि खेती का 60–70 प्रतिशत काम संभालती है तथा बच्चों पर कीटनाशकों उर्वरकों का ज्यादा दुष्प्रभाव होता है अतः केन्द्र व राज्यों के महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा हर गांव में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जैविक खेती जैविक भोजन के लाभ व इसको अपनाने के तरीके का प्रचार व

(शेष पृष्ठ 29 पर...)

कालेधन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी नकेल कसिये

ग्लोबल फाइनेन्शियल इंटेग्रिटी के अनुसार 60 प्रतिशत बिल के उलटफेर के माध्यम से भेजा जा रहा है। आपराधिक स्रोतों के द्वारा 35 प्रतिशत और भ्रष्टाचार का हिस्सा मात्र 3 प्रतिशत है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के साथ–साथ भारत से गैर कानूनी प्रेषण में हुयी वृद्धि से इन अनुमानों की पुष्टि होती है। ग्लोबल फाइनेन्शियल इंटेग्रिटी के अनुसार 2003 में भारत से कुल गैर कानूनी प्रेषण 31,000 करोड़ रुपये था जो कि 2011 में बढ़कर 424,000 करोड़ रुपये हो गया। 8 साल की अवधि में इसमें 12 गुणा वृद्धि हुयी है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

जनता को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि वे बाहर देशों में जमा काले धन को वापस लायेंगे। यह प्रसन्नता का विषय है। परन्तु सावधान रहना चाहिये कि इस मुद्दे के चलते इससे बड़ी समस्या से भटक नहीं जायें। देश के धन को गैर कानूनी ढंग से दो रास्तों से बाहर भेजा जा रहा है। एक रास्ता है कि हवाला के माध्यम से देशवासियों ने धन को स्विट्जरलैण्ड भेजा और वहां के बैंकों में गुप्त खातों में जमा करा दिया। दूसरा रास्ता बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा माल का ऊंचे दाम पर आयात अथवा नीचे दाम पर निर्यात करना है। अध्ययनों के अनुसार भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा राशि की तुलना में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भेजी जा रही राशि लगभग दस गुणा है। ऐसे में बाहर जमा काले धन को लाने के चक्कर में हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की धांधली को नजरंदाज कर सकते हैं। पहले इन कम्पनियों पर नकेल कसनी चाहिये।

सामान्य रूप से काले धन को नम्बर दो के धन्धे से जोड़ा जाता है जैसे प्रापर्टी

बेचकर रकम नगद में प्राप्त करना अथवा किसी का अपहरण करके रकम वसूल करना अथवा माल को नम्बर दो में बिना एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स अदा किये बेच देने से। लेकिन वैश्विक अध्ययनों के अनुसार गैर कानूनी ढंग से धन को बाहर भेजने में इस काले धन का हिस्सा छोटा है। ज्यादा बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा रकम को बाहर भेजने का है। ये कम्पनियां माल के दाम में उलटफेर करके हमारी आय को बाहर ले जाती हैं। जैसे किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने 10,000 रुपये के केमिकल का इम्पोर्ट किया लेकिन बिल 20,000 रुपये का बनवा लिया और 20,000 भारत से भेज दिये। केमिकल के सप्लायर को 20,000 रुपये मिल गये। उसने 10,000 रुपये नगद में अथवा कमीशन के नाम पर

एक रास्ता है कि हवाला के माध्यम से देशवासियों ने धन को स्विट्जरलैण्ड भेजा और वहां के बैंकों में गुप्त खातों में जमा करा दिया। दूसरा रास्ता बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा माल का ऊंचे दाम पर आयात अथवा नीचे दाम पर निर्यात करना है। अध्ययनों के अनुसार भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा राशि की तुलना में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भेजी जा रही राशि लगभग दस गुणा है। ऐसे में बाहर जमा काले धन को लाने के चक्कर में हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की धांधली को नजरंदाज कर सकते हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनी के मुख्यालय को अदा कर दिये। भारत से 10,000 रुपये नाजायज ढंग से बाहर चले गये। इसी प्रकार एक्सपोर्ट के बिल को कम कर दिया जाता है। 10,000 रुपये का माल एक्सपोर्ट किया गया लेकिन बिल 5,000 का बनाया गया। शेष 5,000 रुपये बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने खरीददार से नकद ले लिये।

रकम को गैर कानूनी ढंग से भेजने का एक और उपाय प्रचलन में है। विदेशों में जाकर आप किसी कम्पनी को रजिस्टर करा सकते हैं और बैंक खाता खुलवा सकते हैं। कई देशों में कम्पनियों की मल्कियत की जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी नहीं होता है। ऐसे में आपकी पहचान गुप्त रहती है। भारत सरकार को कम्पनी का नाम पता लग सकता है परन्तु उसके मालिक आप हैं यह पता नहीं लग सकता है। इस कम्पनी में कोई कारोबार होना जरूरी नहीं है। इसे खोखली कम्पनी कहा जाता है। ऐसी कम्पनी को कमीशन अथवा सापटवेयर खरीदने जैसी सेवाओं के लिये भारत से पेमेंट किया जा सकता है। इस खोखली कम्पनी से रकम मन मर्जी से निकाली जा सकता है। मेरा अनुमान है कि हमारे नेताओं एवं उद्यमियों के द्वारा भी इस प्रकार की कम्पनियां बनाकर भारत से भारी रकम बाहर भेजी जा रही है।

ग्लोबल फाइनें□ियल इंटेग्रिटी नामक संस्था का अनुमान है कि 2011 में भारत से 424,000 करोड़ रुपये बाहर भेजे गये। यह संस्था वै□िवक स्तर पर काले धन को ट्रैक करती है। मुझे यह अनुमान सही दिखता है। यह रकम केन्द सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, सड़क तथा रेल पर किये जा रहे कुल खर्च के बराबर बैठती है। यदि इस रकम का प्रेशण बन्द हो जाये तो ये सरकारी खर्च दोगुना किये जा सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका से बाहर जा रही गैर कानूनी रकम पर नियंत्रण को एक पैनल बनाया है जिसके अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थाबो बेकी हैं। आपने कहा है कि इस प्रेषण का दो तिहाई हिस्सा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भेजा जा रहा है; एक चौथाई हिस्सा अपराधिक गतिविधियों जैसे ड्रग्स और स्मगलिंग से जा रहा है और भ्रष्टाचार और घूसखोरी का हिस्सा मात्र 5 प्रतिशत है। ग्लोबल फाइनेंन्शियल इंटेग्रिटी के अनुसार 60 प्रतिशत बिल के उलटफेर के माध्यम से भेजा जा रहा है। अपराधिक स्रोतों के द्वारा 35 प्रतिशत और भ्रष्टाचार का हिस्सा मात्र 3 प्रतिशत है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के साथ–साथ भारत से गैर कानूनी प्रेषण में हुयी वृद्धि से इन अनुमानों की पुष्टि होती है। ग्लोबल फाइनेंन्शियल इंटेग्रिटी के अनुसार 2003 में भारत से कुल गैर कानूनी प्रेषण 31,000 करोड़ रुपये था जो कि 2011 में बढ़कर 424,000 करोड़ रुपये हो गया। 8 साल की अवधि में इसमें 12 गुना वृद्धि हुयी है। संस्था ने यह भी कहा है कि इस बात के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध हैं कि भारत में आर्थिक सुधारों के साथ–साथ पूंजी का गैर कानूनी प्रेषण बढ़ा है। इसके विपरीत मैक्सिको में विकास दर बढ़ने के साथ–साथ पूंजी कि पलायन घटा है। दोनों देशों में अन्तर गवर्नेंस का है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में व्याप्त कुशासन का लाभ उठाकर गैर कानूनी ढंग से रकम का प्रेषण किया। इसके विपरीत मैक्सिको में आर्थिक विकास के साथ–साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का घरेलू इकोनोमी पर भरोसा बना और उन्होंने रकम का पुनर्निवेश किया। स्पष्ट होता है कि भारत से रकम के गैर कानूनी प्रेषण में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बड़ा हाथ है और यह प्रेषण आर्थिक सुधारों के बाद व्याप्त कुशासन की आड़ में बढ़ रहा है। जाहिर है कि इस प्रेषण को रोकने की कुंजी घरेलू गवर्नेन्स में निहित है।

इस दिशा में कई सुझाव विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिये गये हैं। पहला सुझाव है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विभिन्न देशों में किये गये कारोबार की बैलेंस शीट को सार्वजनिक करने को बाध्य किया जाये। इससे स्पष्ट हो जायेगा कि किन

बहुराश्ट्रीय कंम्पनियों ने भारत में व्याप्त कु□ासन का लाभ उठाकर गैर कानूनी ढंग से रकम का प्रेशण किया। इसके विपरीत मैक्सिको में आर्थिक विकास के साथ–साथ बहुराश्ट्रीय कम्पनियों का घरेलू इकोनोमी पर भरोसा बना और उन्होंने रकम का पुनर्निवे□ा किया। स्पश्ट होता है कि भारत से रकम के गैर कानूनी प्रेशण में बहुराश्ट्रीय कम्पनियों का बड़ा हाथ है और यह प्रेशण आर्थिक सुधारों के बाद व्याप्त कु□ासन की आड़ में बढ़ रहा है। जाहिर है कि इस प्रेशण को रोकने की कुंजी घरेलू गवर्नेन्स में निहित है।

देशों में केवल गैर कानूनी प्रेषण से भारी लाभ दिखाया जा रहा है। इस लाभ की तह में जाकर पहचान की जा सकती है कि किस देश से इस रकम को भेजा गया है। दूसरे, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारतीय व्यापारियों के द्वारा खरीद और बिक्री के मूल्यों की तुलना विश्व बाजार में प्रचलित मूल्यों से की जा सकती है। इससे पता लग जायेगा कि बिल में कहां उलट फेर किया गया है। तीसरे, विभिन्न देशों द्वारा एक दूसरे को सूचना करने को भारत सरकार द्वारा पहल की जाये। जी–20 देशों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अदा की गयी टैक्स की रकम की जानकारी एक दूसरे को देना स्वीकार किया है। हमें चाहिये कि इस प्रावधान को डब्लूटीओ में लायें अथवा द्विपक्षीय समझौतों में इसे जोड़ें। मारीशस जैसे देशों में भारतीय कम्पनियों द्वारा कितना टैक्स जमा किया गया है यह जानकारी हमें उपलब्ध हो जाये तो पता लग जायेगा कि किन कम्पनियों ने भारत से रकम को बाहर भेजा है।

चौथे, दूसरे देशों के द्वारा कम्पनियों के मालिकों की पहचान को सार्वजनिक करने को भारत द्वारा वैश्विक दबाव बनाया जाये। ऐसा करने से भारतीय नागरिकों के द्वारा विदेशों में बनाई गयी खोखली कम्पनियों का भण्डा फोड़ हो जायेगा। पांचवें, एक सीमा से अधिक विदेशी रकम के लेन देन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना अनिवार्य बना दिया जाये। वर्तमान में व्यवस्था है कि बैंकों में 50,000 से अधिक जमा कराने पर सूचना बैंकों द्वारा इनकम टेक्स विभाग को भेज दी जाती है। ऐसी व्यवस्था विदेशी लेनदेन पर भी लागू की जानी चाहिये।

चुनाव में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहा जो स्वागत योग्य है। परन्तु विदेशों को भारत से गैरकानूनी ढंग से भेजी जा रही रकम में इसका हिस्सा छोटा है। पहले मोटी मुर्गी को पकड़ना चाहिये। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और खोखली कम्पनियों पर नकेल कसी जाए तो अधिक सुधार होगा। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के ऊपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि "स्वदेशी पत्रिका" के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में विविध कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110003740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजें।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मसेवा' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

कौशल के हथियार से गरजेगा भारत

कौशल प्रशिक्षण की बुनियाद के साथ भारत आर्थिक विकास की डगर पर आगे बढ़ेगा तो दो दशक बाद विश्व की प्रमुखतम आर्थिक शक्ति के रूप में दिख सकता है। अमेरिकी सरकार की राष्ट्रीय खुफिया परिषद (एनआईसी) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल ट्रेंड 2030 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक नई प्रोफेशनल पीढ़ी के कारण विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभर सकता है।

■ जयंतीलाल भंडारी

यकीनन 16वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से करोड़ों युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा कौशल विकास से संबंधित है। इन दिनों दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के विकास संबंधी रुझान पेश करने वाले लगभग सभी आर्थिक अध्ययनों में जो महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आ रहा है, वह यह कि यदि कौशल प्रशिक्षण की बुनियाद के साथ भारत आर्थिक विकास की डगर पर आगे बढ़ेगा तो दो दशक बाद विश्व की प्रमुखतम आर्थिक शक्ति के रूप में दिख सकता है। अमेरिकी सरकार की राष्ट्रीय खुफिया परिषद (एनआईसी) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल ट्रेंड 2030 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक नई प्रोफेशनल पीढ़ी के कारण विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभर सकता है।

भारत के आर्थिक शक्ति बनने से संबंधित सभी अध्ययन व सर्वेक्षण बता रहे हैं कि प्रोफेशनल्स और कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित नई पीढ़ी भारत की नई ताकत होगी। अतः देश की नई सरकार को नए मानव संसाधन (ह्यूमन रिसोर्स) को और पेशेवर बनाने के लिए नए रणनीतिक प्रयास करने होंगे। श्रमशक्ति पर आधारित नई रणनीति के तहत चीन की तरह भारतीय श्रम को कौशल विकास से सुसज्जित करना होगा। नियंत्रण श्रम परिदृश्य पर भारत के लिए ऐसी अनुकूलताएं भी आकार ग्रहण कर रही हैं। हाल में नियंत्रण शोध अध्ययन संगठन टॉवर्स वॉटसन ने अपनी

रिपोर्ट में बताया है कि चीन की तुलना में भारत में श्रम ज्यादा सस्ता है। इस शोध अध्ययन में भारत और चीन में इस समय मिल रही मजदूरी और वेतन की तुलना की गई है और निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत की तुलना में चीन में श्रमिकों और कर्मचारियों को औसतन दोगुना वेतन मिलता है।

निसंदेह अपने सस्ते एवं प्रशिक्षित श्रमबल के कारण चीन वर्षों से आर्थिक विकास के मोर्चे पर दमदार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अब वहां सस्ते श्रमबल की कमी विकास के लिए चुनौती बन रहा है। चीन में सस्ते श्रम की कमी का बड़ा कारण यह है कि वहां के शहरों में ही नहीं, गांवों में भी अतिरिक्त श्रमिक नहीं बचे हैं। चीन में जहां युवा आबादी कम हो रही है, वहीं बूढ़े लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चीन की 15 से 59 वर्ष की कामकाजी आबादी में लगातार गिरावट शुरू हो गई है। इस समय चीन की कार्यशील आबादी 94.4 करोड़ है, जो तेजी से घटते हुए 2030 में 87.7 करोड़ रह जाएगी। इसमें दो मत नहीं है कि अब तक चीन अपनी भारी कामकाजी आबादी और सबसे सस्ते श्रमबल के कारण दुनिया का औद्योगिक केन्द्र बना हुआ है। लेकिन भविष्य में उसके उद्योगों में श्रमबल की कमी और श्रम लागत बढ़ने से औद्योगिक स्थिति में चिंताजनक बदलाव आएगा।

अर्थ विशेषज्ञों का कहना है कि अब चीन अपने उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के चाहे जितने प्रयास करे, वह श्रमबल के घटने और श्रम लागत बढ़ने से होने वाले नुकसान से बच नहीं सकेगा। ऐसे में चीन से भी सस्ते श्रमबल के लिए उभरकर सामने आए भारत के लिए आर्थिक विकास के जोरदार मौके दिख रहे हैं।

लेकिन सस्ते श्रमबल से भारत की आर्थिक तस्वीर संवारने के लिए हमें चीन के अब तक के श्रम अर्थशास्त्र से कुछ सीख लेनी होगी। चीन ने अपनी सस्ती श्रमशक्ति को शिक्षित–प्रशिक्षित करने की रणनीति अपनाई है। अब भी चीन भारत की तुलना में श्रमबल को तेजी से मानव संसाधन के रूप में परिणित करते दिख रहा है। वहां उच्च शिक्षा के ज्यादातर छात्र इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और साइंस विषयों की पढ़ाई और शोध कार्य कर रहे हैं। वहीं कम शिक्षित छात्र कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित हो रहे हैं। इसके विपरीत भारतीय परिदृश्य देखें तो यहां तकरीबन साढ़े तीन करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। स्कूलों में ही नहीं, कॉलेजों में भी रोजगार की जरूरत के अनुरूप पाठ्यक्रम नहीं हैं। इतना ही नहीं, भारत के उद्योग–व्यवसाय में कौशल प्रशिक्षित लोगों की मांग और आपूर्ति में लगातार अंतर बना हुआ है। भारत में औसतन 20 फीसद युवाओं के पास कौशल प्रशिक्षण है, जबकि चीन के 80 फीसद युवा कौशल प्रशिक्षण से परिपूर्ण हैं। यद्यपि भारत में औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी नहीं है, लेकिन गुणवत्ता व रोजगार की नई जरूरतों के हिसाब से भारतीय श्रम प्रशिक्षण संस्थान कारगर भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। कम शिक्षित और सामान्य योग्यता वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करना होगा। गांवों में काफी संख्या में जो गरीब, अशिक्षित और अर्धशिक्षित लोग हैं, उन्हें अर्थपूर्ण रोजगार देने के लिए कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करके खास तकनीक विनिर्माण में लगाना होगा।

हमें नई पीढ़ी को देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर रोजगार की जरूरत के अनुरूप मानव संसाधन (ह्यूमन रिसोर्स) के रूप में गढ़ना होगा। देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देने में भारत के मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, अकाउंटिंग आदि पेशेवर पढ़ाई वाले शिक्षित–प्रशिक्षित युवाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसमें दो मत नहीं है कि भारत की नई पीढ़ी और भारत के प्रोफेशनल्स के लिए देश और दुनिया में रोजगार के चमकीले द्वार खुल रहे हैं।

माना जा रहा है कि भारतीय मिट्टी में प्रतिभाओं तथा नियंत्रण जरूरत के उद्यमियों व प्रोफेशनल्स की पौध सबसे ज्यादा लहलहा रही है। यह स्पष्ट है कि दुनिया में आज भी मानव संसाधन में परिणत भारतीय प्रतिभाओं की मांग है और भविष्य में भी बनी रहेगी। विश्व बैंक सहित दुनिया के कई आर्थिक संगठनों के अध्ययनों के मुताबिक विकसित देशों और कई विकासशील देशों में 2020 तक कामकाजी जनसंख्या की भारी कमी होगी। ऐसे में दुनिया के जनसंख्या मानचित्र को देखते हुए अर्थ विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि भारतीय जनसंख्या में युवाओं की करीब आधी आबादी और दुनिया की जनसंख्या में युवाओं की करीब चौथाई आबादी का स्वरूप भारत के लिए संभावनाओं के द्वार खोल सकता है और बड़ी आबादी मानव संसाधन के रूप में अर्थतंत्र के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकाने में कौशल प्रशिक्षित और मानव संसाधन के रूप में उपयोगी बनी नई पीढ़ी के साथ–साथ भारतीय मध्यम वर्ग की विशेष भूमिका होगी।

कल का उपेक्षित और गुमनाम भारतीय मध्यम वर्ग अपनी बढ़ती क्रय शक्ति के कारण आज देश–दुनिया की आंखों का तारा बन गया है। भारत का मध्यम वर्ग जहां देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का सपना लेकर आगे बढ़ रहा है, वहीं वह अपनी खरीद क्षमता के कारण पूरी दुनिया को भारत की ओर आकर्षित कर रहा है। देश की विकास दर के साथ–साथ शहरीकरण की ऊंची वृद्धि दर के बलबूते भारत में मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक ताकत तेजी से बढ़ी है।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2015– 16 में भारतीय उच्च मध्यम वर्ग की संख्या 27 करोड़ हो जाएगी। इस विशालकाय मध्यम वर्ग की आंखों में उपभोग और खुशहाली के सपनों को पूरा करने के लिए देश–विदेश की बड़ी–बड़ी कंपनियां नई–नई रणनीतियां बना रही हैं। आशा करें कि देश में नई केन्द्र सरकार के द्वारा नियंत्रण शोध अध्ययन संगठन टॉवर्स वाटसन की ताजा रिपोर्ट के मद्देनजर भारतीय श्रमबल के आर्थिक उपयोग की नई रणनीति से देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

अमेरिकी सरकार की राष्ट्रीय खुफिया परिषद (एनआईसी) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल ट्रेंड 2030 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक नई प्रोफेशनल पीढ़ी के कारण विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभर सकता है भारत के आर्थिक शक्ति बनने से संबंधित सभी अध्ययन व सर्वेक्षण बता रहे हैं कि प्रोफेशनल्स और कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित नई पीढ़ी भारत की नई ताकत होगी। अतः देश की नई सरकार को नए मानव संसाधन (ह्यूमन रिसोर्स) को और पेशेवर बनाने के लिए नए रणनीतिक प्रयास करने होंगे। ❑

संवैधानिक हो नदियों को नैचुरल मदर का दर्जा

भारत में भी नदियों की जीवंतता को संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए। कारण कि आज भारत अपने ही परंपरागत ज्ञानतंत्र व आस्था को नकारने पर उतारू हो गया है। नदियों के प्रति हमारी संवेदनाएं मरी हैं। नदियों के साथ अच्छे व्यवहार के सामाजिक संस्कार कमजोर हुए हैं। हम बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से नदियों को शोषित-प्रदूषित करने में जुट गए हैं। हम कुदरत की इस बेशकीमती नियामत को इसका नैतिक हक देने को तैयार नहीं हैं। ऐसे हालात में अब आगे भारत की नदियों का नैसर्गिक व जीवंत बचे रहना मुश्किल दिखाई देता है। अतः जरूरी हो गया है कि इस मामले में हम संविधान द्वारा निर्देशित किए जाएं।

'मैं आया नहीं हूं।
मुझे गंगा मां ने बुलाया है।'
'मां गंगा जैसा निर्देश देंगी,
मैं वैसा करूंगा।'

अपनी उम्मीदवारी नामांकन से पहले और जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बनारस में दिए उक्त दो बयानों से गंगा की सुमेच्छु संतानों को बहुत उम्मीदें बंधी होंगी। नदियों हेतु एक अलग मंत्रालय बनाने की खबर से एक वर्ग की उम्मीदें और बढ़ी हैं, तो दूसरा वर्ग इसे नदी जोड़ के एजेंडे की पूर्ति की हठधर्मिता का कदम मानकर चिंतित भी है। मैं समझता हूं कि ढांचागत व्यवस्था से पहले जरूरत नीतिगत स्पष्टता की है। समग्र नदी नीति बने बगैर योजना, कार्यक्रम, कानून, ढांचे, सभी कुछ पहले की तरह फिर कर्ज बढ़ाने और संघर्ष लाने वाले साबित होंगे।

सभी का शुभ के लिए लाभ ही भारतीयता

अतः जरूरी है कि सरकार पहले नदी पुनर्जीवन नीति, बांध निर्माण नीति और कचरा प्रबंधन नीति पारित करने संबंधी लंबित मांगों की पूर्ति की स्पष्ट पहल करे, तब ढांचागत व्यवस्था के बारे में सोचे। किंतु वह राष्ट्रीय जलनीति जैसी कतई न हो। महज बाजार की हितपूर्ति करने वाली नीति भारतीय नहीं कही जा सकती। सभी के शुभ को आगे

■ अरुण तिवारी

रखकर लाभ कमाना भारतीयता है। सभी के शुभ को पीछे रखकर अपने लाभ को आगे रखना लूट का बाजारू व्यवहार। गंगा भारतीय संस्कृति की महाधारा भी है, अस्मिता का प्रतीक भी और पर्यावरण की मॉनीटर भी। निस्संदेह उसका निर्देश सर्वोपरि होना ही चाहिए। किंतु क्या नई सरकार सचमुच भारतीय आस्था और संस्कृति के गंगा निर्देश को व्यवहार को बदलने की हिम्मत जुटा पाएगी ? हमें प्रतीक्षा है।

जल को जीवंत मानने की संस्कृति भारतीय

मैं यह इसलिए कहा रहा हूं क्योंकि नदियों को लेकर अब तक का सरकारी वैचारिक रुख भारतीयता के उस उभार से कतई मेल नहीं खाता है, जिसके रथ पर सवार होकर भाजपा सत्ता में आई है। भारतीय धार्मिक आस्था पानी को आज भी इन्द्र-वरुण आदि के रूप में ही पूज्य और पवित्र ही मानती है। इस आस्था का व्यापक आधार भारत का परंपरागत ज्ञान तंत्र और उसका विज्ञान है। आप भारतीय वेद, पुराण, उपनिषद....कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए इस ज्ञानतंत्र और उसके विज्ञान ने पानी की बूंद, बादल, हिम, हिमनद या किसी अन्य स्वरूप को 'एच2ओ' कहकर कभी संबोधित नहीं किया। क्योंकि वह जानता था कि पानी के जिस स्वरूप को हम देखते हैं, वह सिर्फ 'एच2ओ' है ही नहीं। यदि पानी सिर्फ 'एच2ओ' होता, तो सिंथेटिक रक्त बना लेने वाला आधुनिक विज्ञान कभी का पानी बना चुका होता। हम हर छोटी-बड़ी प्रयोगशाला में पानी बनाकर पानी की कमी को धता बता रहे होते। एक जीवंत स्पंद के स्पर्श के बगैर एच2 और ओ आपस में जुड़ ही नहीं सकते; 'एच2ओ' पानी का दृश्य स्वरूप पा ही नहीं सकता।

इसीलिए फिलहाल आधुनिक विज्ञान ने भी पानी बनाने के मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने बता दिया है कि पानी जीवन्त है, महज एक वस्तु नहीं, जिसे निर्मित किया जा सके। नदियां कुदरती जीवंत प्रणाली हैं, इंसान की बनाई निर्जीव सड़क नहीं, जिसे जहां चाहे जोड़ लें।

किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी राष्ट्रीय जलनीति पानी को 'आर्थिक वस्तु' के रूप में बिक्री हेतु स्थापित करने की जिद्द ठाने बैठी है। नदी जोड़ परियोजना, नदी की परिभाषा को नकारने की एक अन्य जिद के रूप में आती दिखाई दे रही है। नदी की परिभाषा को नकारकर नदियों में पानी लाया जा सकता है, नदी का चरित्र वापस नहीं

लौटाया जा सकता। इस चरित्रहीनता के खतरे जैविक और व्यापक हैं। हमेशा से मान्यता रही है कि कोई भी नदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवंत प्रणाली होती है। जैसे हमारा मानव शरीर। नदियों को जीवंत मानने वाली गहरी धार्मिक आस्था को अब आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार लिया है।

जीवन्तता को संवैधानिक दर्जे की दरकार

इसी जीवंतता को आधार बनाकर नदियों को 'नेचुरल पर्सन' का संवैधानिक दर्जा देने की एक शानदार पहल का श्रेय आज विश्व के जिन दो देशों को जाता है, वह हैं – इक्वाडोर और न्यूजीलैंड।

तो क्या अब जिस भारत की आस्था व ज्ञानतंत्र ने आधुनिक विज्ञान से पहले यह बात दुनिया को बताई, वहां नदियों को यह संवैधानिक दर्जा नहीं मिलना चाहिए? मुझे इस छोटे से सवाल से हमारी नदियों की हकदारी हासिल करने की दिशा में एक बड़ी खिड़की खुलती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई यह कहकर इसे बहस का मुद्दा बना दे कि भारत का जनमानस तो नदियों को मां मानता ही है; संविधान यह मान्यता दे न दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने से क्या फर्क पड़ गया, सिवाय इसके कि गंगा के नाम पर कुछ हजार करोड़ रुपये और खर्च हो गए? सचमुच फर्क पड़ता, यदि मांग के अनुरूप गंगा को 'राष्ट्रीय नदी' नहीं, 'राष्ट्रीय नदी प्रतीक' का दर्जा दिया गया होता। तब गंगा का अपमान करने वाले जाने कितनों पर अब तक राष्ट्रद्रोह के मुकदमे टांक दिए गए होते।

बहरहाल इस मांग में दम है कि भारत में भी नदियों की जीवंतता को संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए। कारण कि आज भारत अपने ही परंपरागत ज्ञानतंत्र व आस्था को नकारने पर उतारू हो गया है। नदियों के प्रति हमारी संवेदनाएं मरी हैं। नदियों के साथ अच्छे व्यवहार के सामाजिक संस्कार कमजोर हुए हैं। हम बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से नदियों को शोषित–प्रदूषित करने में जुट गए हैं। हम कुदरत की इस बेशकीमती नियामत को इसका नैतिक हक देने को तैयार नहीं हैं। ऐसे हालात में अब आगे भारत की नदियों का नैसर्गिक व जीवंत बचे रहना मुश्किल दिखाई देता है। अतः जरूरी हो गया है कि इस मामले में हम संविधान द्वारा निर्देशित किए जाएं।

नदियों के मातृत्व को मिले संवैधानिक दर्जा

भारत को चाहिए कि वह इससे भी आगे जाकर नदियों को सिर्फ 'नेचुरल पर्सन' नहीं, बल्कि 'नेचुरल मदर' यानी 'प्राकृतिक मां' का संवैधानिक दर्जा प्रदान करे। चूंकि भारतीय आस्था नदियों को सिर्फ एक जीवंत प्रणाली ही नहीं, बल्कि संतति को जन्म देकर तथा उसे पोषित कर सृष्टि रचना के क्रम को आगे बढ़ाने वाली मां मानती है। यदि हम नाम बदलकर अमानीशाह या नजफगढ़ नाला बना दी गई क्रमशः जयपुर की द्रव्यवती व अलवर से बहकर दिल्ली आने वाली साबी जैसी नदियों की बात छोड़ दें, तो आज भी भारत में कोई नदी ऐसी नहीं है कि जिसे मां मानकर पूजा या आराधना न की जाती हो। ब्रह्मपुत्र, नद के रूप में पूज्य है ही। यह बात और है कि **हम भारतीय नदियों को मानते मां हैं, लेकिन उनका उपयोग मैला ढोने वाली मालगाड़ी की तरह करते हैं। इसी विरोधाभास के कारण आज नदियां आज संविधान की ओर निहार रही हैं।**

शुभ कदम के प्रत्यक्ष लाभ

नदियों को मां का संवैधानिक दर्जा प्राप्त होते ही नदी को जीवन समृद्धि के सारे अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। नदियों से लेनेदेने की सीमा स्वतः परिभाषित हो जायेगी। हम कह सकेंगे कि नदी मां से किसी भी संतान को उतना और तब तक ही लेने का हक है, जितना कि एक शिशुको अपनी मां से दूध। दुनिया के किसी भी संविधान की निगाह में मां बिक्री की वस्तु नहीं है। अतः यह नदियां को बेचना संविधान का उल्लंघन होगा। अतः नदी भूमि–जल आदि की बिक्री पर कानूनी रोक स्वतः लागू हो जाएगी। मां की कीमत पर कमाई पर रोक होगी। इसके विरोध में रोज–रोज आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। नदी मां को विष पिलाने वाले उसकी हत्या की कोशिश के दोषी होंगे। उन पर दीवानी नहीं, फौजदारी कानूनों के तहत् हत्या का मुकदमा चलेगा।

अनुभव की मांग भी यही

पिछले 15 वर्षों से नदी संरक्षण को लेकर चल रहे तमाम प्रयासों के आकलन के मद्देनजर निष्कर्ष साफ हैं कि नदियों को लूटकर अपनी तिजोरी भरने वाले एकजुट हैं। वे नदी संरक्षण के नाम पर लिए गए कर्ज में से भी मुनाफा कमाने की जुगत में लगे हैं। आइए! इस मांग को आवाज दें। 'नेचुरल मदर' का संवैधानिक दर्जा देकर भारत की प्रत्येक नदी के जीवन व समृद्धि के अधिकार को वैधानिक बनाया जाए, उन नदियों के भी जिनका नाम बदलकर हमने नाला बना दिया है। नदी मंत्रालय बनाने से पहले क्या इस नीति और नीयत की पहल का करना अच्छा नहीं होगा? ❑

परिवर्तनों की साक्षी है माँ गंगा

दुर्भाग्य की बात है कि यह पवित्र नदी बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण के कारण अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। हर वर्ष इसकी रक्षा में करोड़ों रुपए का बजट आता है। यह सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। देश बचाना है तो गंगा को बचाना होगा, तभी हम स्वस्थ भारत की कल्पना कर सकते हैं।

■ उमेश प्रसाद

तीर्थों में सर्वाधिक गंगा नदी का है। गंगा भारत के विकास की कहानी है। हजारों देवी–देवताओं का मंदिर गंगा तट पर स्थित है। धर्मप्रिय नागरिक यहां पूजा–अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का विकास इसी के पवित्र तट पर हुआ। धरती पर लाखों वर्षों में अनेक राजा बदले, राजवंश बदले। भूगोल बदल गए पर मां गंगा अविरल बहती रही। गंगा देश में हुए अनेक परिवर्तनों की साक्षी है।

यह पवित्र नदी हिमालय के मनोरम स्थल गंगोत्री से निकलकर ऋषिकेश और हरिद्वार को महिमा मंडित करती है। यहां से समतल भूमि पर चलकर गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी जैसे स्थलों को पवित्र करती हुई बिहार में प्रवेश करती है। इससे पूर्व बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच 42 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करती है। बिहार में गंगा को सबसे पहला स्थान चौसा मिलता है। देश की राजनीति में चौसा का प्रमुख नाम है। यह स्थान बक्सर से चालीस किलोमीटर पश्चिम में है। पास ही में कर्मनाशा और गंगा का संगम होता है।

सन् 1539 की बात है। उस समय मुगल सम्राट हुमायूं अपनी सेना के साथ गंगा की प्रवाह में गौड़ राज्य से लौट रहा था। उसे पश्चिम में आगरा जाना था। उस समय बिहार का शेरशाह सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था। वह गौड़ राज्य से ही हुमायूं का पीछा कर रहा था। हुमायूं तेजी से भाग रहा था। चौसा में शेरशाह के पुत्र जलाल खां ने उसका रास्ता रोक दिया। मुगल सेना में बारह हजार सैनिक थे। भयंकर लड़ाई छिड़ गई। शेरशाह यहां का स्थानीय निवासी था। उसे आम जनता का समर्थन प्राप्त था। कहते है कि यहीं हुमायूं के आठ हजार सैनिक मारे गए। उसके चार हजार सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। सैनिकों के रक्त से गंगा नदी लाल हो गई। स्वयं हुमायूं घायल हो गया। वह जान बचाने के लिए गंगा में कूद गया। जब वह डूबने लगा तो चौसा के एक भिस्ती ने उसे गंगा से बाहर निकाला। उसकी जान बच गई लेकिन वह इतना डर गया कि उसे भारत से कंधार भागना पड़ा। गंगा किनारे चौसा में भारत के भाग्य का निर्णय हुआ। शेरशाह भारत का सम्राट बन गया।

पाटलिपुत्र की स्थापना

बिहार की राजधानी पटना के गौरवपूर्ण इतिहास की रचना गंगा तट पर हुई। मगध सम्राट अजातशत्रु का पुत्र राजकुमार उदयीभद्र ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उसने इस नगर के चारों ओर गहरी खाई बनवायी। उसमें हमेशा गंगाजल भरा रहता था। जगह–जगह घाटों का निर्माण कराया। इसी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक ने अपनी कन्या संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के निमित्त गंगा के प्रवाह मार्ग से श्रीलंका में भेजा था। आगे चलकर पाटलिपुत्र का नाम पटनादेवी के नाम पर पटना हो गया। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् पटना के गायघाट से गंगा पार करके वैशाली में कदम रखा था। इसी गंगा के तट पर राजशक्ति का प्रतीक मगध और गणशक्ति के प्रतीक वैशाली में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मगध सम्राट अजातशत्रु ने वैशाली के गणतंत्र को नष्ट कर दिय। छठ व्रत के मौके पर यहां गंगा का सौन्दर्य देखते बनता है।

कर्ण की राजधानी

महाभारत काल में मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र को अंगदेश कहते थे। यहां का राजा कर्ण था। कर्ण की राजधानी गंगा तट पर चम्पा में थी। कर्ण प्रतिदिन प्रातः गंगा में स्नान के पश्चात् सवा मन सोना दान करता था। चम्पा से आगे गंगा इतिहास प्रसिद्ध मुंगेर की किला को छूती हुई बंगाल में प्रवेश कर जाती है। यहां बंगाल और बिहार की सीमा पर गंगा 50 किलोमीटर की यात्रा करती है। पतित पावनी गंगा कुल यात्रा 2688 किलोमीटर की करती है जिसमें बिहार का हिस्सा 416 किलोमीटर का है। बिहार की सभी नदियां स्थान–स्थान पर गंगा में प्रवेश कर जाती है। गंगा के किनारे स्थित प्रत्येक गांव का का अपना इतिहास है।

दुर्भाग्य की बात है कि यह पवित्र नदी बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण के कारण अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। हर वर्ष इसकी रक्षा में करोड़ों रुपए का बजट आता है। यह सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। देश बचाना है तो गंगा को बचाना होगा, तभी हम स्वस्थ भारत की कल्पना कर सकते हैं। ❑

स्वदेशी ही क्यों?

देशी वस्तु का उपयोग, पर्यावरण, शुद्धता, स्वच्छता, एक राष्ट्र, एक जन और रिश्तों के मामलों में जाति, सम्प्रदाय और भाषा का भेदभाव न हो, देश कि संस्कृति की रक्षा करना, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, स्वालम्बन, स्वत्व का बोध यही है – स्वदेशी। बिना स्वदेशी से न तो अपना देश जी सकता है और न अन्य कोई देश।

■ पुष्करलाल पुराणिक

आज विश्व की संख्या 700 करोड़ से अधिक है। विश्व का हर सातवाँ व्यक्ति भारतीय है। अकेले भारत और चीन की जनसंख्या विश्व की 37 प्रतिशत है। भारत की जनसंख्या 122 करोड़ के आसपास है।

भारत में स्वदेशी राष्ट्रप्रेम की शिथिलता व अन्य कारणों के कारण निम्न देश भारत से अलग हुए।

सन् 1876 में अफगानिस्तान,
सन् 1904 में नेपाल।
सन् 1906 में भूटान।
सन् 1914 में तिब्बत।
सन् 1935 में श्रीलंका (सिलोन)
सन् 1937 में म्यान्मार (ब्रह्मदेश – बर्मा)
सन् 1947 में पाकिस्तान (सन 1971 में पाकिस्तान से बंगलादेश अलग हुआ।

स्वदेशी एक बहुआयामी अवधारणा है। वह सब जो भारत में भारतीय जीवन पद्धति, मौसम, भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, इतिहास, आर्थिक, जनमानस के अनुकूल और लाभकारी हो। या यूँ कह सकते है कि स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वावलम्बन का समन्वित रूप ही स्वदेशी है।

प्रत्येक देश की अपनी विशेषताएं होती है। जो उसके इतिहास, भूगोल व संस्कृति से बनती है। प्रत्येक देश अपनी विशेषताओं से आगे बढ़ता है। सामाजिक पूँजी और सांस्कृतिक व्यवसाय, इससे ही देश बनते और बढ़ते है।

भाषा – शिक्षा के पाठ्यक्रम, व्यवस्था, रचना, माध्यम आदि सहित।

भूषा – समूची जीवन शैली।

भोजन – विशेषतः खाद्य पदार्थ एवं अनिवार्य वस्तुएं।

भेषज – प्राकृतिक चिकित्सा, योग आदि।

भवन – भवन के निर्माण, रचना, साज–सज्जा, पर्यावरण आदि।

भावना – भजन, रीति–रिवाज, दर्शन, परम्परा, समारोह, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन मूल्य आदि।

इन सभी की दृष्टि से स्वदेशी का प्रकटीकरण होता है।

देशी वस्तु का उपयोग, पर्यावरण, शुद्धता, स्वच्छता, एक राष्ट्र, एक जन और रिश्तों के मामलों में जाति, सम्प्रदाय और भाषा का भेदभाव न हो, देश कि संस्कृति की रक्षा करना, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, स्वालम्बन, स्वत्व का बोध यही है – स्वदेशी। बिना स्वदेशी से न तो अपना देश जी सकता है और न अन्य कोई देश।

वसुदैव कुटुम्बकम् हमारे लिए एक परिवार है। दूसरों देशों के लिए दुनिया एक बाजार है। शोषण और मुनाफा उनकी प्रेरणा है। सेवा, सहायता, करूणा, दया, माया, ममता, अहिंसा हमारी प्रेरणा है।

गांधी जी द्वारा दिए गए 'फार्मूला' का हमेशा स्मरण रखें –

(1) चाहत से देशी – स्थानीय वस्तुएं।
(2) जरूरत से स्वदेशी – भारतीय वस्तुएं।
(3) मजबूरी से विदेशी – विदेशी वस्तुएं।

विदेशी में भी शत्रु देश की वस्तुओं का उपयोग करते है तो अप्रत्यक्ष रूप से उसे लाभ ही पहुँचा रहे हैं। वह हमारे दिए गए रूपियों पर ही उसका उपयोग करता है। जो हमारे लिए एक लज्जाजनक स्थिति है।

स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने से देश का धन देश में ही रहेगा। उससे देश का विकास होगा।

देशी वस्तु का उपयोग, पर्यावरण, शुद्धता, स्वच्छता, एक राष्ट्र, एक जन और रिश्तों के मामलों में जाति, सम्प्रदाय और भाषा का भेदभाव न हो, देश कि संस्कृति की रक्षा करना, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, स्वालम्बन, स्वत्व का बोध यही है – स्वदेशी। बिना स्वदेशी से न तो अपना देश जी सकता है और न अन्य कोई देश।

अतिथि देवो भवः
पितृ देवो भवः
मातृ देवो भवः
सर्वेभिसुखिना सन्तुः

ये हमारे स्वदेशी विचार है।

एक परिवेश खादी का पहनने से अपने 15 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। गाय का दूध माँ के दूध के समान है। आधुनिकीकरण की दौड़ में हर प्राणी मशीनी व व्यावसायिक होता जा रहा है। उसकी आत्मा तो मातृभाषा में ही रहती है। बचत करना, मितव्ययी, स्वभाव को बनाए रखना, उपभोक्तावाद के स्थान पर संयमित उपभोग शैली पर जोर देना स्वदेशी है।

स्वदेशी जागरण मंच ऐसे लोगों का एक मंच है जो यह जानते है कि वैश्वीकरण से भारत की संप्रभुता, संस्कृति और समाज खतरे में पड़ गया है। इस दिशा में जन जागरण करते है।

स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना (गठन) दिनांक 22 नवम्बर 1991 को राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने की।

स्वदेशी जागरण मंच के कुछ मुद्दे –

(1) स्विस बैंक और विदेशों में भारतीयों के जमा काले धन को वापस लाना।

(2) खुदरा व्यापारियों पर विदेशी और देशी बड़े पूंजीपतियों से मॉल संस्कृति को लादने का विरोध।

(3) विश्व व्यापार संगठन का विरोध

(4) विदेशी विश्वविद्यालयों का (शिक्षा नीति के अंतर्गत) भारत में प्रवेश का विरोध।

(5) बाहरी और आंतरिक आतंकवाद से मुक्ति।

(6) विदेशी पूंजी निवेश पर नियंत्रण।

(7) लघु उद्योग, ग्रामीण, घरेलू और कारीगरी उद्योगों को बढ़ावा।

(8) बाजारवाद, मुनाफावाद, विदेशी निर्भरता से देश को मुक्त करना।

(9) देश की आबादीके 70 प्रतिशत आदमी की खुशहाली की नीति।

(10) जल, जमीन और जंगलों की रक्षा व संरक्षण।

(11) देश लोगों द्वारा स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का दैनिक जीवन में उपयोग।

हमारी गौरवशाली सभ्यता व संस्कृति पर स्वाभिमान व उसकी रक्षा रखने की भावना रखना ही देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम है। ❑

(पृष्ठ 19 का शेष...)

भारत में जैविक खेती - संभावनाएं व नीतियाँ

सुविधाएं देने का प्रबंधन करना चाहिए।

(4) किसानों को जैविक खेती अपनाने पर कृषि मंत्रालय, नाबोर्ड, अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेष आर्थिक सहायता का प्रावधान करना चाहिए।

जैविक खेती के आदानों पर सब्सिडी (अनुदान)

रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिवर्ष 16 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा कीटनाशक, ट्रेक्टर आदि की सब्सिडी मिलाकर खरबों रुपए रासायनिक खेती के आदानों की सब्सिडी पर खर्च हो रहा है। इसी प्रकार जैविक खेती के लिए भी सब्सिडी की आवश्यकता है। हमारे देश में सब्सिडी का सीधा असर उस तकनीक के प्रसार पर होता है। हाल के वर्षों में जड़ी–बूटी की खेती में औषधीय पादप बोर्ड द्वारा 25–30 प्रतिशत सब्सिडी देने से आज देशभर में जगह–जगह इनकी खेती शुरू हुई है हालांकि सब्सिडी से स्थाई विकास नहीं होता है किन्तु प्रसार के लिए एक अच्छा उपाय है। अतः जैविक खेती में सब्सिडी निम्न आदानों पर दी जा सकती है –

(1) जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशक निर्माण को लघु उद्योग के रूप में सब्सिडी।

(2) बैलों की जोड़ी खरीदने व बैल चलित हल व यंत्रों पर सब्सिडी बायोगैस संयंत्र पर सब्सिडी बढ़ाना।

(3) जैविक खेती में परिवर्तन काल में फसल की उपज में कमी की भरपाई के लिए सब्सिडी या बीमा।

(4) किसान द्वारा जैविक खाद बनाने के लिए गोबर, राक फास्फेट, फसल अवशेष का खरीदने के लिए इन पर सब्सिडी।

जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण पर काफी लागत आती है और बिना प्रमाणीकरण के उपभोक्ता जैविक उत्पाद होने का विश्वास भी नहीं कर पाता है। अतः जैविक उत्पादों की विक्रय को सुनिश्चित करने के लिए सहकारी विपणन व राज्यों के विपणन व्यवस्था व भारतीय खाद्य निगम से जैविक खाद्यान्न खरीदने के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए।

इसी प्रकार जैविक खेती के लिए नीतियों में प्राथमिकता देकर व उसके लिए सघन कार्यक्रम चलाकर ही देश की भूमि–किसान–उपभोक्ता को स्वस्थ व आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर स्थाई विकास व खुशहाली लाने का सपना साकार किया जा सकता है। ❑

विदेश नीति की नई धुरी

मोदी की जीत से भारत–जापान संबंध मजबूत होंगे और भारत की लुक ईस्ट नीति से इन संबंधों में नई ताकत आएगी। रक्षा को मजबूत करने के संदर्भ में अबे भारत को जापान का अमेरिकी विकल्प मानते हैं। शिंजो अबे और मोदी के नेतृत्व में भारत–जापान के बीच गहन रिश्तों के चलते एशिया का सामरिक परिदृश्य नया आकार लेगा। एशियाई शक्ति संतुलन के केंद्र में जहां जापान पूर्वी किनारे पर प्रभावी भूमिका में होगा वहीं भारत दक्षिणी किनारे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

■ ब्रह्म चेलानी

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और भारत के प्रधानमंत्री नेता नरेंद्र मोदी के बीच कुछ अद्भुत समानताएं हैं। जापान में भी छह वर्षों तक चले राजनीतिक उथल–पुथल या कहें अस्थिरता के बाद शिंजो अबे 2012 के उत्तरार्ध में सत्ता में आए थे। उनके नेतृत्व में जापान ने न केवल दृढ़ता दिखाई, बल्कि अधिक प्रतिस्पर्धी व आत्मविश्वास से भरे एक देश के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन चुनावों में मोदी की जीत भी देश की जनाकांक्षाओं को कुछ इसी रूप में ध्वनित कर रही है। उनकी अद्वितीय और निर्णायक नेतृत्व क्षमता के कारण देशवासियों को उम्मीद है कि एक लंबे अंतराल के बाद हमारी अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र में सुधार आएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने अबे का उदार राष्ट्रवाद, बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था और नव एशियावाद का दृष्टांत सामने है, जो एशियाई लोकतांत्रिक देशों के बीच रणनीतिक सहभागिता के माध्यम से अधिक निकट संबंधों की वकालत करता है। अबे की तरह ही मोदी से भी अपेक्षा है कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था को नवजीवन प्रदान करने पर ध्यान देंगे।

इसके साथ ही उन्हें क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती देने और चीन केंद्रित एशिया के उभार को रोकने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ रक्षा और सामरिक सहभागिता को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। एक ऐसे देश में जहां देश की आम जनता और उसके राजनीतिक नेताओं की औसत आयु में अंतर दुनिया में सर्वाधिक है, वहां मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। यह अबे के साथ दूसरी समानता का एक बिंदु है, क्योंकि वह जापान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। वैसे इन दोनों नेताओं के पालन–पोषण व विकास में एक महत्वपूर्ण अंतर है। जहां मोदी एक सामान्य परिवार से उठकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं वहीं अबे जापान के दो–दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता जापान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। वास्तविकता यही है कि मोदी राहुल गांधी की वंशवादी आकांक्षाओं को कुचलते हुए आगे बढ़े हैं। राहुल गांधी निर्णायक शासन के इस युग में अपनी नेतृत्व क्षमता को लेकर लोगों को विश्वास दिला पाने में नाकाम रहे।

शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रित करके मोदी ने संभवतः कुछ गलत शुरुआत की है। व्यापक रूप में चाहिए यही था कि भारत पाकिस्तान से खुद को अलग रखता और सार्क देशों के मामले में भी अपनी इस पुरानी सोच से कुछ परे हटता कि विकास, शांति और स्थिरता के लिए इन क्षेत्रीय देशों की एकजुटता जरूरी है।

शिंजो अबे की तरह ही मोदी के सामने विदेश नीति के मोर्चे पर कई बड़ी चुनौतियां हैं। दुनिया की आबादी का छठवां हिस्सा भारत में निवास करता है, बावजूद इसके भारत का वह महत्व नहीं है जो होना चाहिए। विदेश मामले पर एक अमेरिकी पत्रिका में 2013 में भारत की कमजोर विदेश नीति शीर्षक से एक लेख छपा था, जिसमें बताया गया था कि किस तरह यह देश अपनी उन्नति को बाधित कर रहा है और नई दिल्ली की दूषित राजनीति किस तरह देश के लिए खुद दुश्मन साबित हो रही है।

अंतरराष्ट्रीय हैसियत के संदर्भ में भारत और चीन की स्थिति के मद्देनजर तमाम भारतीय चाहते हैं कि मोदी इस समय विदेश संबंधों को एक नई दिशा दें। भारत का प्रभाव उसके अपने ही पड़ोसी देशों नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में सिकुड़ रहा है। दक्षिण एशिया में भूटान भारत का एकमात्र सामरिक सहयोगी है। भारत को चीन और पाकिस्तान के रूप में परमाणु हथियारों से संपन्न दो देशों के गठबंधन से जूझना पड़ रहा है।

चीन और पाकिस्तान, दोनों ही भारत के कुछ भू–भागों पर अपना दावा करते हैं और इसके लिए दोनों ही व्यापक विनाश के हथियारों को भी परस्पर साझा करते आ रहे हैं। इन देशों से निपटते समय मोदी को पूर्व सरकार की तरह ही कुछ दुविधाओं का सामना करना होगा। इस मामले में चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बहुत ही कमजोर हैं। एक ओर कम्युनिस्ट पार्टी और सौम्य रूप वाली चीनी विदेश नीति है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया संस्थाएं सामरिक नीति को तय करती हैं। अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रित करके मोदी ने संभवतः कुछ गलत शुरुआत की है। व्यापक रूप में चाहिए यही था कि भारत पाकिस्तान से खुद को अलग रखता और सार्क देशों के मामले में भी अपनी इस पुरानी सोच से कुछ परे हटता कि विकास, शांति और स्थिरता के लिए इन क्षेत्रीय देशों की एकजुटता जरूरी है।

सार्क की उपयोगिता के मामले में भारत को यह समझना होगा कि एक ऐसी कृत्रिम रचना से दूर हटना ही अच्छा है जो भारत को एक क्षेत्रीय फ्रेमवर्क में बांधती है। इस तरह के क्षेत्रीय फ्रेमवर्क का अहम आर्थिक और क्षेत्रीय हितों से तालमेल नहीं बैठता। भारत का स्वाभाविक सामरिक दायरा इससे कहीं व्यापक है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान से जुड़े रहने की वाजपेयी सरकार की नीति ने सीमापार आतंकवाद को बढ़ाया ही था।

हाल के दिनों में राजनयिक तनाव और व्यापार विवादों को लेकर अमेरिका के साथ बिगड़े रिश्तों को भी बहाल करना होगा। मोदी के समक्ष यह एक अन्य बड़ी चुनौती है। बाजार उन्मुख आर्थिक नीतियों

और रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण की मोदी की प्रतिबद्धता से अमेरिकी उद्योगों को नया अवसर मिलेगा और द्विपक्षीय रिश्तों को एक नई ऊंचाई भी मिलेगी। मोदी एक ऐसे नेता हैं जो अमेरिका–भारत संबंधों को वापस पटरी पर ला सकते हैं, जिससे परस्पर सहयोग बढ़ेगा। हालांकि शुरुआत में अमेरिका से उनके अपने रिश्तों के कारण कुछ खतरे भी हैं। हो सकता है रिश्तों में गरमाहट के बजाय शुरुआत में व्यवसाय पर ही अधिक ध्यान दिया जाए। अमेरिका के साथ अपने कटु अनुभवों को भुला पाना उनके लिए आसान नहीं होगा।

वर्ष 2002 में गुजरात में हुए हिंदू–मुस्लिम दंगों के संदर्भ में अप्रमाणित आरोपों के संदर्भ में 2005 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें वीजा देने से इन्कार कर दिया था। इस वीजा प्रकरण पर अभी तक अमेरिका ने खेद नहीं जताया है। शायद ही मोदी अपनी पहल पर व्हाइट हाउस जाना चाहें। उनकी कोशिश यही होगी कि अमेरिकी अधिकारी स्वयं उन्हें आमंत्रित करें। जापान और इजरायल जैसे देश भी मोदी को याद रहेंगे। ये वे देश हैं जो उस समय मोदी के साथ खड़े हुए थे जब अमेरिका उन्हें निशाना बना रहा था। 2007 और 2012 में मोदी ने जापान की यात्रा की थी, जिससे गुजरात में जापानी निवेश के प्रति व्यावसायिक मित्रता का माहौल बना और नए रास्ते खुले। मोदी ने जापान से विशेष रिश्ते कायम किए और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ तो उनकी व्यक्तिगत नजदीकी रही।

शिंजो अबे के लाखों ट्विटर फॉलोअर हैं, लेकिन वह खुद अपनी पत्नी और मोदी समेत सिर्फ तीन लोगों को फॉलो करते हैं। अबे जब सत्ता में आए तो मोदी ने उन्हें फोन करके बधाई दी थी। मोदी की जीत से भारत–जापान संबंध मजबूत होंगे और भारत की लुक ईस्ट नीति से इन संबंधों में नई ताकत आएगी। रक्षा को मजबूत करने के संदर्भ में अबे भारत को जापान का अमेरिकी विकल्प मानते हैं। शिंजो अबे और मोदी के नेतृत्व में भारत–जापान के बीच गहन रिश्तों के चलते एशिया का सामरिक परिदृश्य नया आकार लेगा। एशियाई शक्ति संतुलन के केंद्र में जहां जापान पूर्वी किनारे पर प्रभावी भूमिका में होगा वहीं भारत दक्षिणी किनारे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ❑

कब और कैसे बाहर होंगे घुसपैठिए

जाहिर है देश में उपलब्ध रोजगार के अवसर, सब्सिडी वाली सुविधाओं पर से इन बिन बुलाए मेहमानों का नाजायज कब्जा हटा दिया जाए तो देश की गरीबी रेखा में खासी गिरावट आ जाएगी। इस घुसपैठ का सबका विकृत असर हमारे सामाजिक परिवेश पर पड़ रहा है। अपने पड़ोसी देशों से रिश्तों के तनाव का एक बड़ा कारण ये घुसपैठिए भी हैं। यानी घुसपैठिए हमारे सामाजिक, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं को आहत कर रहे हैं। नई सरकार इस समस्या से निबटने के लिए तत्काल अलग महकमा बनाये तो बेहतर होगा, जिसमें प्रशासन और पुलिस के अलावा मानवाधिकार व स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग भी शामिल हों।

■ पंकज चतुर्वेदी

बंगाल में प्रचार के दौरान जब नरेंद्र मोदी ने कहा था यदि उनकी सरकार आएगी तो बांग्लादेशियों को उनके देश वापिस भेज दिया जाएगा तो उनके इस बयान का व्यापक स्वागत हुआ था। इन दिनों देश की सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर बांग्लादेशी हैं। उनकी भाषा, रहन-सहन और नकली दस्तावेज इस कदर हमारी जमीन से घुलमिल गए हैं कि उन्हें विदेशी सिद्ध करना नामुमकिन सा लगता है। किसी तरह सीमा के अंदर घुस आये ये लोग अपने देश लौटने को राजी नहीं होते हैं। इन्हें जब भी देश से बाहर करने की कोई बात हुई, सियासत व वोटों की छीना-झपटी में उलझ कर रह गई। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति के मूल में अवैध बांग्लादेशी ही हैं। जनसंख्या विस्फोट से देश की व्यवस्था लड़खड़ा गई है। देश के मूल नागरिकों के सामने मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिनों-दिन गंभीर होता जा रहा है।

ऐसे में गैरकानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी कानून को धता बता भारतीयों के हक बांट रहे हैं। ये लोग यहां के बाशिंदों की रोटी तो छीन ही रहे हैं, देश के सामाजिक व आर्थिक समीकरण भी इनके कारण गड़बड़ा रहे हैं। हाल में मेघालय हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 1971 के बाद आए तमाम बांग्लादेशी यहां अवैध रूप से रह रहे हैं। अनुमानतः करीब दस करोड़ बांग्लादेशी यहां जबरिया रह रहे हैं। 1971 की लड़ाई के समय लगभग 70 लाख बांग्लादेशी आए थे। अलग देश बनने के बाद कुछ उनमें से

लाख लौटे भी पर उसके बाद भुखमरी, बेरोजगारी के शिकार बांग्लादेशियों का हमारे यहां घुस आना जारी रहा। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, त्रिपुरा के सीमावर्ती जिलों की आबादी हर साल बढ़ रही है। नादिया जिले (प. बंगाल) की आबादी 1981 में 29 लाख थी जो 1986 में 45 लाख, 1995 में 60 लाख और आज 65 लाख पार कर चुकी है।

बिहार में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा आदि जिलों की जनसंख्या में

बिहार में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा आदि जिलों की जनसंख्या में अचानक वृद्धि का कारण वहां बांग्लादेशियों की अचानक आमद ही बतायी जाती है। असम में 50 लाख से अधिक विदेशियों के होने पर सालों खूनी राजनीति हुई। वहां के मुख्यमंत्री भी इन नाजायज निवासियों की समस्या को स्वीकारते हैं पर इसे हल करने की बात पर चुप्पी छा जाती है।

अचानक वृद्धि का कारण वहां बांग्लादेशियों की अचानक आमद ही बतायी जाती है। असम में 50 लाख से अधिक विदेशियों के होने पर सबसे खूनी राजनीति हुई। वहां के मुख्यमंत्री भी इन नाजायज निवासियों की समस्या को स्वीकारते हैं पर इसे हल करने की बात पर चुप्पी छा जाती है।

सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद विदेशी नागरिक पहचान कानून को लागू करने में राज्य सरकार का ढुलमुल रवैया राज्य में नए तनाव पैदा कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी सालाना 135.01 प्रतिशत है, जबकि यहां की औसत वृद्धि 38.63 है । इसी तरह पश्चिम बंगाल की जनसंख्या बढ़ोतरी की दर औसतन 24 फीसद के आसपास है, लेकिन मुस्लिम आबादी का विस्तार 37 प्रतिशत से अधिक है। यही हाल मणिपुर व त्रिपुरा का भी है। जाहिर है, इसका मूल कारण यहां बांग्लादेशियों का निर्बाध आकर बसना और निवासी होने के कागजात हासिल करना है। कोलकता में तो ऐसे बांग्लादेशी स्मगलर और बदमाश बन कर व्यवस्था के सामने चुनौती बने हुए हैं।

राजधानी दिल्ली में सीमापुरी हो या यमुना पुश्ते की कई किलोमीटर में फैली झुग्गियां, यहां लाखों बांग्लादेशी डटे हैं। ये भाषा, खानपान, वेशभूषा के कारण स्थानीय बंगालियों से घुलमिल जाते हैं। बिजली, पानी की चोरी के साथ ही चोरी-डकैती, जासूसी व हथियारों की तस्करी में इनकी संलिप्तता बतायी जाती है। सीमावर्ती नोएडा व गाजियाबाद में भी यह ऐसे ही फैले हैं। इन्हें खदेड़ने के कई अभियान चले। कुछ सौ लोग गाहे-बगाहे सीमा से दूसरी ओर ढकेले भी गए लेकिन बांग्लादेश अपने ही लोगों को नहीं अपनाता नहीं है। फिर ये बगैर किसी दिक्कत के कुछ ही दिन बाद यहां लौट आते हैं।

बताते हैं कि कई बांग्लादेशी बदमाशों का नेटवर्क इतना सशक्त है कि वे चोरी के माल को हवाला के जरिए उस पार भेज देते हैं । दिल्ली व करीबी नगरों में इनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। सभी नाजायज बाशिंदों के आका सभी सियासती पार्टियों में हैं । इसी लिए इन्हें खदेड़ने के हर बार के अभियानों की हफ्ते-दो हफ्ते में हवा निकल जाती है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की मानें तो भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित आठ चेक पोस्टों से हर रोज कोई 6400 लोग वैध कागजों के साथ सीमा पार करते हैं और इनमें से 4480 कभी वापिस नहीं जाते। औसतन हर साल 16 लाख बांग्लादेशी भारत की सीमा में आ कर यहीं के हो कर रह जाते हैं।

सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2000 से 2009 के बीच कोई एक करोड़ 29 लाख बांग्लादेशी बाकायदा पासपोर्ट-वीजा लेकर भारत आए और वापिस नहीं गए। असम तो इनकी पसंदीदा जगह है। 1985 से अब तक महज 3000 अवैध आप्रवासियों को ही वापिस भेजा जा सका है। राज्य की अदालतों में अवैध निवासियों की पहचान और उन्हें वापिस भेजने के कोई 40 हजार मामले लंबित हैं। अवैध रूप से घुसने व रहने वाले स्थानीय लोगों में शादी करके यहां अपना समाज बना-बढ़ा रहे हैं। भारत में बस गए ऐसे करोड़ों से अधिक घुसपैठियों खाने-पीने, रहने, सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग का न्यूनतम खर्च पचीस रुपए रोज भी लगाया जाए तो यह राशि सालाना किसी राज्य के कुल बजट के बराबर होगी।

जाहिर है देश में उपलब्ध रोजगार के अवसर, सब्सिडी वाली सुविधाओं पर से इन बिन बुलाए मेहमानों का नाजायज कब्जा हटा दिया जाए तो देश की गरीबी रेखा में खासी गिरावट आ जाएगी। इस घुसपैठ का सबसे विकृत असर हमारे सामाजिक परिवेश पर पड़ रहा है। अपने पड़ोसी देशों से रिश्तों के तनाव का एक बड़ा कारण ये घुसपैठिए भी हैं। यानी घुसपैठिए हमारे सामाजिक, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं को आहत कर रहे हैं। नई सरकार इस समस्या से निबटने के लिए तत्काल अलग महकमा बनाये तो बेहतर होगा, जिसमें प्रशासन और पुलिस के अलावा मानवाधिकार व स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग भी शामिल हों।

यह किसी से छिपा नहीं है कि बांग्लादेश व पाकिस्तान सीमा पर मानव तस्करी का धंधा फल-फूल रहा है, जो सरकारी कारिंदों की मिलीभगत के बगैर संभव ही नहीं है। आमतौर पर इन विदेशियों को खदेड़ने का मुद्दा सांप्रदायिक रंग ले लेता है। यहां बसे विदेशियों की पहचान कर उन्हें वापिस भेजना जटिल प्रक्रिया है। कारण, बांग्लादेश अपने लोगों की वापसी सहजता से नहीं करेगा। दरअसल हमारे देश की सियासी पार्टियों द्वारा वर्ग विशेष के वोटों के लालच में इस सामाजिक समस्या को धर्म आधारित बना दिया जाता है। यदि सरकार इस दिशा में ईमानदारी से पहल करते है तो एक झटके में देश की आबादी का बोझ कम कर यहां के संसाधनों, श्रम और संस्कारों पर अपने देश के लोगों का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। ❑

आशंका और उम्मीद के भंवर में उच्च शिक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बन जाने के बाद एक बड़ा सवाल है कि क्या देश की शिक्षा और उच्च शिक्षा के हालात सुधरेंगे? क्योंकि देश में शिक्षा और उच्च शिक्षा की दशा और दिशा बेहद खराब है। इस समय तकनीकी शिक्षा अपने सबसे बुरे दौर में है। पिछले तीन सालों से लगातार इंजीनियरिंग में लाखों सीटें खाली हैं, इसके साथ ही आईआईटी का नियंत्रण प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। दुनिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में भी हमारे यहां से कोई विश्विद्यालय नहीं है।

■ शशांक द्विवेदी

हाल ही में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता और डिग्री पर खूब सवाल उठे हैं जबकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या और गुणवत्ता को लेकर होना चाहिए। जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बन जाने के बाद एक बड़ा सवाल है कि क्या देश की शिक्षा और उच्च शिक्षा के हालात सुधरेंगे? क्योंकि देश में शिक्षा और उच्च शिक्षा की दशा और दिशा बेहद खराब है। इस समय तकनीकी शिक्षा अपने सबसे बुरे दौर में है। पिछले तीन सालों से लगातार इंजीनियरिंग में लाखों सीटें खाली हैं, इसके साथ ही आईआईटी का नियंत्रण प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। दुनिया के टॉप 200 विश्विद्यालयों में भी हमारे यहां से कोई विश्विद्यालय नहीं है। कुल मिलाकर देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा के हाल साल दर साल बद से बदतर होते जा रहे हैं।

दुनिया के ताकतवर व समृद्ध देशों की सफलता का एक बड़ा कारण विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा ही है। अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की आर्थिक प्रगति को उनकी विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा से जोड़कर ही समझा जा सकता है। अपने यहां अनुसंधान की स्थिति, गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीयकरण के पैमाने पर भी आईआईटी कमतर ही साबित हुए हैं।

भारत ने रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर ब्रिक्स के जरिये दुनिया के आर्थिक मंच पर बेशक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है मगर तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिक्स के बाकी देशों के आगे हम कहीं नहीं ठहरते। उच्च क्या, स्कूली शिक्षा के मामले में भी हमारी स्थिति बहुत खराब है। इसी

भारत ने रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर ब्रिक्स के जरिये दुनिया के आर्थिक मंच पर बेशक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है मगर तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिक्स के बाकी देशों के आगे हम कहीं नहीं ठहरते। उच्च क्या, स्कूली शिक्षा के मामले में भी हमारी स्थिति बहुत खराब है। इसी वजह से पीसा (प्रोग्राम फार इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसमेंट) की रैंकिंग में हमें जगह नहीं मिल पाती है। पीसा ने जहां स्कूली शिक्षा में हमारी दयनीय हालत उजागर की है, वहीं टाइम्स और क्यूएस रैंकिंग ने यह सोचने पर मजबूर किया कि हमारे आईआईटी इनोवेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं।

वजह से पीसा (प्रोग्राम फार इंटरनेशनल स्टूडेंट एसेसमेंट) की रैंकिंग में हमें जगह नहीं मिल पाती है। पीसा ने जहां स्कूली शिक्षा में हमारी दयनीय हालत उजागर की है, वहीं टाइम्स और क्यूएस रैंकिंग ने यह सोचने पर मजबूर किया कि हमारे आईआईटी इनोवेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं।

पिछले दिनों राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय खनिज विद्यापीठ (आईएसएम) के दीक्षांत समारोह में तक्षशिला व नालंदा विविद्यालय का स्वर्णिम युग याद करते हुए भारतीय तकनीकी संस्थानों को गौरवशाली बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में 16 आईआईटी, 30 एनआईटी, 359 महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थानों के अलावा हजारों इंजीनियरिंग संस्थान हैं लेकिन ग्लोबल स्तर पर टॉप 200 विविद्यालयों में कोई भी भारतीय संस्थान नहीं है। कुछ दशक पहले उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत व पड़ोसी देश चीन की तुलना एक धरातल पर होती थी लेकिन आज चीन उच्च और तकनीकी शिक्षा के मामले में भारत से बहुत आगे है।

1990 में चीनी अर्थव्यवस्था में आई तेजी के बाद वहां कॉलेज और विश्व–विद्यालयों को उभरने और विकसित होने का मौका दिया गया। आज चीन में दो हजार से अधिक विविद्यालय और संस्थान–उच्च शिक्षा, तकनीक, प्रबंधन और चिकित्सा की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं। पिछले 20 वर्ष में चीन की सरकार ने अपने कुछ विविद्यालयों जैसे बीजिंग, शिनहुआ, शंघाई, जिओटांग और फूडान आदि को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया। चीन ने दो–तीन दशकों में अपनी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बदल दी है। उसने 1990 के मध्य में प्रोजेक्ट 211 के अंतर्गत विश्व स्तरीय विविद्यालयों, उच्च शोध संस्थानों और तकनीकी हब की बड़ी श्रृंखला तैयार की है।

चीन को मालूम है कि आर्थिक सर्वश्रेष्ठता बेहतर तकनीकी शिक्षा, शोध और विकास पर ही निर्भर है। भारत में हर साल मात्र पांच हजार जबकि चीन में हजार के करीब छात्र पीएचडी करते हैं। केवल पीएचडी के मामले में ही नहीं, शोध पत्रों तथा पेटेंट के मामले में भी हम चीन से काफी पीछे हैं। भारत में 538 विश्वविद्यालय और 26478 उच्चशिक्षा संस्थान हैं। जिनमें 1.60 करोड़ नौजवान पढ़ते हैं। ग्रास एनरोलमेंट के लिहाज से यह 12 प्रतिशत है जो ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। जबकि केंद्र सरकार ने 2020 तक 30 प्रतिशत एनरोलमेंट का लक्ष्य रखा है।

देश में संस्थानों की भीड़ बढ़ाने के लिए पिछले 30 वर्ष में बहुत सारे निजी संस्थान और डीम्ड यूनिवर्सिटी खुले हैं, जिनका कोई मानक और स्तर नहीं है। देश के 153 विविद्यालयों तथा 9875 कॉलेजों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। आधुनिक ज्ञान आधारित नियंत्रण अर्थव्यवस्था में अपनी पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए भारत को विश्व के प्रतिष्ठित विविद्यालयों की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा का संकट संभवतः किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे गहरा संकट होता है। यह संकट भारत के भविष्य को सीधे–सीधे प्रभावित करेगा। पिछले दिनों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) ने स्वीकार किया कि भारत में उच्च शिक्षा में जो संकट है, वह गहराई तक मौजूद है। देश की संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि मंत्री बनने के लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होती है। इसलिए सवाल यह नहीं कि मानव संसाधन व विकास मंत्री स्मृति ईरानी के पास कोई डिग्री है या नहीं। मुख्य सवाल यह है कि क्या वह शिक्षा के क्षेत्र की समस्याएं ठीक से समझती हैं और देश की शिक्षा और उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए तत्काल क्या कदम उठाती हैं। क्योंकि पिछले एक दशक से शिक्षा के हालात बदतर ही हुए हैं।

वास्तव में मौजूदा नीतियों के आधार पर विश्वस्तरीय संस्थान खड़े करना असंभव होगा। सिर्फ कुछ आईआईटी और आईआईएम के भरोसे हम विकसित राष्ट्र का सपना सच नहीं कर सकते। देश में तकनीकी शिक्षा की कुल सीटों में 95 प्रतिशत निजी कॉलेजों में हैं बाकी 5 प्रतिशत में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी हैं जहां एडमिशन के लिए छात्रों में होड़ है लेकिन देश के विकास के लिए बाकी 95 प्रतिशत कॉलेजों को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। हमें विश्वस्तरीय संस्थान खड़े करने के लिए ऐसी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, जो गुणवत्ता, पारदर्शिता, स्वायत्तता, विकेंद्रीकरण, जवाबदेही, विविधता और विश्व दृष्टि जैसे मूल्यों पर आधारित हो। लेकिन दुर्भाग्य से देश में शिक्षा का हाल ठीक नहीं है।

अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देश की मौजूदा नीतियों के आधार पर उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार असंभव है। आज देश के युवाओं को ऐसा तकनीकी ज्ञान मिले जो व्यावहारिक और रोजगारपरक हो, जिसे हम देश की परिस्थितियों के हिसाब से प्रयोग कर सकें। ❑

भ्रष्टाचार के कारण नहीं खत्म हो रही गरीबी

भ्रष्टाचार निरोधक संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टीआई) की एक रपट के अनुसार दुनिया में दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से इस क्षेत्र में लोग गरीबी की बाधा को तोड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि यह अलग बात है कि क्षेत्र में पिछले कई साल से मजबूत आर्थिक वृद्धि हुई है। 'फाइटिंग करप्शन इन साउथ एशिया : बिल्डिंग एकाउंटेबिलिटी' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में टीआई के एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक श्रीराम चिलपैत ने कहा, 'मजबूत आर्थिक वृद्धि के बावजूद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गरीबी कैसे हो सकती है? इसका कारण भ्रष्टाचार है जो कुछ लोगों को बिना किसी जवाबदेही के मुनाफे की इजाजत देता है।' रिपोर्ट में इस बात का विश्लेषण है कि कैसे बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के 70 राष्ट्रीय संस्थान भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। टीआई ने आगाह किया है कि दक्षिण एशियाई देशों में सरकार और लोग अगर भ्रष्ट लोगों को सामने लाने और जांच करना चाहते हैं, उन्हें कानूनी बाधाओं, राजनीतिक विरोध तथा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे रिश्वत, गुप-चुप लेनदेन तथा शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश नहीं लग पाता। ❑

नई सरकार से बातचीत करेगी वालमार्ट

वालमार्ट इंडिया ने कहा कि वह नई सरकार के साथ बातचीत करेगी और देश में कैश एंड कैरी यानी थोक कारोबार पर ध्यान देना जारी रखेगी। जबकि भाजपा ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह बहु ब्रांड खुदरा कारोबार जैसे प्रमुख क्षेत्र से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बाहर रखेगी। घोषणापत्र में कहा था, 'बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र को छोड़कर, उन सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होगी जिनमें रोजगार सृजन एवं परिसंपत्ति निर्माण, बुनियादी ढांचा, विशिष्ट प्रौद्योगिकी और विशेष विशेषज्ञता की जरूरत है।' वालमार्ट भारत में 'बेस्ट प्राइस' ब्रांड के तहत 20 थोक मूल्य दुकानों का परिचालन करती है। वालमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अम्पर ने कहा, 'भारत ने केंद्र के लिए एक नयी और स्थिर सरकार को चुना है इसलिए हम सरकार व अन्य संबद्ध पक्ष के साथ बातचीत और मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ❑

स्मार्टफोन की बिक्री में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा

भारत में स्मार्टफोन चाहने वालों की मांग में पिछले एक साल में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। स्मार्टफोन की बिक्री के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। साल के आखिर तक देश में स्मार्टफोन की बिक्री बढ़कर आठ करोड़ से ज्यादा रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय डाटा कारपोरेशन (आईडीसी) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में फीचर फोन उपभोक्ताओं का स्मार्टफोन की तरफ झुकाव तेजी से हो रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में स्मार्टफोन की बिक्री घरेलू बाजार में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 186 प्रतिशत पहुंच गई जबकि चीन में 2014 की पहली तिमाही में यह महज 31 प्रतिशत ही बढ़ी। ❑

कालेधन पर SIT गठित

नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले दिन का पहला फैसला करते हुए विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में किया गया। भाजपा के चुनावी एजेंडा में भी यह मामला प्राथमिकता के आधार पर था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह फैसला किया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद कानून, आईटी एवं संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा यह संतोष का विषय है कि जब मोदी कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो पहला फैसला विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के बारे में किया गया और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप एसआईटी का गठन किया गया। ❑

विदेशी मुद्रा भंडार 11 अरब डालर बढ़ा

देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस वित्त वर्ष में अभी तक 11 अरब डालर बढ़ा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में एक मजबूत व स्थिर सरकार बनने की उम्मीद में विदेशी निवेशक घरेलू बाजार में भारी मात्रा में डॉलर में निवेश कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, 16 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 314.92 अरब डालर था, जो अक्टूबर, 2011 के बाद से इसका उच्च स्तर है। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार 320.39 अरब डालर था। आंकड़ों के अनुसार मई में अभी तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शेयर एवं ऋण बाजार में 4.4 अरब डालर का निवेश किया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां चालू वित्त वर्ष में 16 मई तक 12 अरब डालर बढ़कर 287.81 अरब डालर पर पहुंच गई हैं। ❑

आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ाए नई सरकार

नई सरकार के लिए कार्ययोजना का खाका पेश करते हुए उद्योग संगठन एसोचैम ने विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नियमों को उदार बनाने, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू करने, निवेश को प्रोत्साहन देने और विनिर्माण इकाई लगाने वाली कंपनियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है। नई सरकार को सौंपी कार्ययोजना में यह भी सुझाव दिया गया है कि लंबित परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की सुविधा शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाना चाहिए। खस्ताहाल सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करने तथा एक लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि जुटाने के वास्ते 10 से 15 प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य निकट भविष्य में 9 से 10 प्रतिशत वृद्धि हासिल करना है। एसोचैम अध्यक्ष राणा कपूर ने कहा, 'सरल व्यावसायिक नियमन के लिए नीतियों को परिभाषित करने की जरूरत है ताकि निवेश के बेहतर माहौल बनाया जा सके और फिर आर्थिक वृद्धि हासिल की जा सके। ❑

सस्ते कर्ज का करना होगा इंतजार

कर्ज सस्ता होने की उम्मीद लगाए उद्योग एवं व्यापार जगत को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा में बैंकों की अल्पकालिक नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि बैंक ने कहा है कि मुद्रास्फीति तेजी से घटती है तो वह दरों में कमी कर सकता है। फिलहाल नीतिगत दरों में कमी नहीं किए जाने से कारोबार, मकान, वाहन और दूसरे कर्जों पर ब्याज दरें कम होने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को मायूसी हुई। केंद्रीय बैंक ने हालांकि अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के लिए लिए सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को 0.50 फीसद घटाकर 22.5 फीसद कर दिया। इसके तहत बैंकों को अपने तात्कालिक और सावधिक दायित्वों का एक न्यूनतम हिस्सा विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इस अनुपात में कमी से बैंकिंग तंत्र में 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी आने का अनुमान है। यह लगातार दूसरा मौका है जब रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ❑

संकट में है देश का आईटी हार्डवेयर उद्योग

उलटे कर ढांचे और ढांचागत चुनौतियों से जूझ रहे आईटी हार्डवेयर उद्योग को नई सरकार से सुधारात्मक पहल की उम्मीद है, ताकि इस क्षेत्र को फिर से वृद्धि के रास्ते पर लाया जा सके। लागत में बढ़ोतरी और स्मार्टफोन एवं टैबलेट की बढ़ती लोकप्रियता के कारण एचसीएल इन्फोसिस्टम, विप्रो और सैमटेल जैसी इस क्षेत्र की बड़ी कंपनियां इस कारोबार से निकल चुकी हैं। मौजूदा कंपनियों को उम्मीद है कि सकारात्मक बदलाव आएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार उन दिक्कतों से निपटेगी जो देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रभावित कर रही हैं।

पिघल रहे हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर

ग्लेशियर या हिमनद ताजा पानी के सबसे बड़े स्रोत हैं। दुनिया के ताजा जल का 77 फीसदी हिस्सा ग्लेशियरों में संरक्षित है। ग्लेशियर ज्यादातर बड़ी नदियों के उद्गम स्थल हैं। मौसम में आ रहे बदलाव से हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियरों का आकार कम हो रहा है। आज गंगोत्री, सतोपंथ, भागीरथी खड़क समेत सभी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर करीब 25 मीटर सालाना रफ्तार से पीछे खिसक रहा है। लगभग 30.2 किमी लंबे इस ग्लेशियर के पिघलने की दर बीते 25 साल में 34 मीटर तक मापी गई है। ग्लेशियर की मोटाई भी कम होती जा रही है। वर्ष 2010 में गोमुख से चौखंबा बेस तक गंगोत्री ग्लेशियर का मुआयना करने वाली आईएमएफ की टीम ग्लेशियर के पीछे खिसकने के साथ ही ग्लेशियर की मोटाई भी कम हुई है। वर्ष 1866 से 2010 के बीच यह ग्लेशियर करीब साढ़े तीन किमी पीछे खिसका है। इसके अतिरिक्त अलकनंदा के पास भी घट रहे हैं ग्लेशियर। ❑

भारत में जोर पकड़ रहा है निवेश

दुनिया में इस समय ब्राजील और भारत की ही चर्चा हो रही है। सिटीग्रुप की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार, भारत में निवेश धीरे–धीरे जोर पकड़ने की संभावना है जो 2015–16 में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। वहीं शेयर बाजार इसका जश्न मना रहा है।' सिटीग्रुप ने कहा कि 2014 के फुटबाल विश्वकप की मेजबानी कर रहे ब्राजील के शहर रियो और भारत इस समय विश्वभर में चर्चा के केंद्र में हैं। ❑

वर्तमान आर्थिक चुनौतियां और समाधान

पिछली सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण बेरोजगारी, भुखमरी, रूपए की बदहाली, महंगाई और भ्रष्टाचार एवं देश पर कसते विदेशी शिकंजे के बारे में आगाह करते हुए कृषि पर अधिक ध्यान देने, कोमोडिटी एक्सचेंजों में कृषि उत्पादों को बाहर कर उनकी कीमतों को बढ़ने से रोकने का सुझाव दिया है। महंगाई को रोकने के लिए रुपए के मूल्य में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के सुझाव भी सम्मेलन में दिए गए हैं।

स्वदेशी जागरण मंच (दिल्ली) का प्रांतीय सम्मेलन 8 जून 2014 को स्टार बैंक्वट हॉल (कश्मीरी गेट) में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वर्तमान आर्थिक चुनौतियों पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। साथ ही दिल्ली प्रदेश के संयोजक श्री गोविन्दराम अग्रवाल ने स्वदेशी जागरण मंच की सक्रियता पर बल दिया। सम्मेलन में पर्यावरण, जी.एम. फूड, जीवन में स्वदेशी आदि विषयों पर चर्चा की गई। जिसमें डा. अश्विनी महाजन (राष्ट्रीय सहसंयोजक), श्री भोला नाथ (चौपाल,सीबीएमडी), श्री सतीश जी (उत्तरभारत संगठक), श्री कमलजीत जी (संगठक दिल्ली, हरियाणा), श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' प्रख्यात स्वदेशी विशेषज्ञ, श्री कमल तिवारी (सहसंयोजक, दिल्ली) श्री सुशील पांचाल जी (सहसंयोजक, दिल्ली) प्रो. नरेश गुप्ता, योगेन्द्र चंदोलिया (महापौर उत्तरी दिल्ली), रविन्द्र गुप्ता (उपमहापौर उत्तरी दिल्ली), यशवंत जी आदि ने उपरोक्त विषयों पर स्वदेशी कार्यकर्ताओं और आगन्तुकों का मार्गदर्शन किया।

सम्मेलन में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और यूपीए सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था पर संकट के संदर्भ में व्यापक चर्चा भी हुई। बैठक में भारत में विदेशी निवेश, आर्थिक चुनौतियां और समाधान एंव जीएम फसलों के खुले परिक्षण से संभावित खतरों पर विचार दिया गया। विदेशी निवेश पर बात करते हुए डॉ. महाजन ने कहा गया है कि अमरीका और यूरोप के आर्थिक तंत्र का खोखलापन उजागर हो चुका है। वर्ष 2012–13 में, जबकि देश को मात्र 26 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, विदेशी निवेशक रॉयल्टी, ब्याज, डिविडेंट और वेतन के नाम पर 31.7 अरब डालर देश से बाहर लेकर चले गए। लगातार ऊंची बनी हुई देश की बचत दर के चलते देश को वास्तव में विदेशी निवेश पर निर्भरता की बजाय अपने संसाधनों का ठीक प्रकार से समायोजन करना चाहिए।

सम्मेलन में यह भी विचार दिया गया कि भारत सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रोजगार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और गरीबी निवारण पर प्रभावों के मद्देनजर अध्ययन कराए। मंच ने पिछली सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण बेरोजगारी, भुखमरी, रूपए की बदहाली, महंगाई और भ्रष्टाचार एवं देश पर कसते विदेशी शिकंजे के बारे में आगाह करते हुए कृषि पर अधिक ध्यान देने, कोमोडिटी एक्सचेंजो में कृषि उत्पादों को बाहर कर उनकी कीमतों को बढ़ने से रोकने का सुझाव दिया है। महंगाई को रोकने के लिए रुपए के मूल्य में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के सुझाव भी सम्मेलन में दिए गए हैं।

पिछली सरकार के शासन के 10 सालों में बेरोजगारों की संख्या में 10 करोड़ की वृद्धि हुई है। ऐसे में रोजगारपरक आर्थिक नीति की जरूरत को रेखांकित करते हुए एनडीए शासन के दौरान बनी एस.पी. गुप्ता कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी सम्मेलन में की गई है। साथ ही सम्मेलन में कहा गया है कि अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग में सुधार लाना है तो उसके लिए आयातों और खासतौर पर चीन से आयातों पर लगाम कसने की जरूरत है। इस अवसर भाजपा सांसद मिनाक्षी लेखी ने भी अपने को स्वदेशी परिवार का बताते हुए कहा कि मैं और हमारी सरकार रोजगारपरक स्वदेशी नीति लागू करेगी।

मंच ने जीएम फसलों के खुले में परीक्षण से संभावित खतरों के बारे में आगाह करते हुए, यह मांग की है कि जिन जी.एम. फसलों के परीक्षण की अनुमति पूर्व पर्यावरण मंत्री ने दी दी है, उनके खुले में परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। किसी भी हालत में जी.एम. परीक्षण कभी भी बन्द ग्रीन हाउस के बाहर नहीं किए जाएं। इसके साथ ही आयातित जी.एम. द्रव्य युक्त खाद्य पदार्थों पर जी.एम. लेबल की अनिवार्य बाध्यता को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। सम्मेलन में श्री सतीश ने न्यूनतम तीन वस्तुओं विदेशी पेय जैसे पेप्सी कोक, साबुन जैसे लक्स, लिरिल, लाइफब्वाय और मंजन जैसे कोलगेट क्लोजप विदेशी वस्तुओं के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। जिसका हॉल में उपस्थित सभी श्रोताओं ने तालियों के साथ अनुमोदन किया। इस अवसर पर विशिष्ठ अतिथि के रुप में मनजिन्दर सिंह नारंग अयूर वाले, डॉ. संम्बित पात्रा, सतपाल शर्मा, रमाकान्त एंव अनिल शर्मा जैसे गणमान्य लोग उपस्थित रहे।